राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021
(प्रारूप)

प्रस्तावना

1. जेंडर समानता (Gender Equality) सतत् विकास की आधारशिला है। यह मानव अधिकार है जिसे किसी भी समाज को अपने नागरिकों की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए संजोए रखना चाहिए। जेंडर समतामूलक समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी महिलाओं, पुरुषों, ट्रान्सजेंडर एवं अन्य प्रकार की लैंगिकता वाले लोगों को समुचित समान अवसर प्राप्त हों; अपने विकल्पों और अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक सक्षम वातावरण उपलब्ध हो तथा वे जेंडर भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में सक्षम हों।

2. समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की समानता, सुरक्षा, सहभागिता व अन्य सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें एक सहयोगी व अनुकूल वातावरण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं एवं बालिकाओं का विकास केवल महिलाओं के माध्यम से सम्भव नहीं है, इसमें पुरूष की सहभागिता भी आवश्यक होगी।

3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में जेंडर समानता के सिद्धान्त को उचित स्थान दिया गया है। हमारा संविधान महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु उन्हें समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राज्यों को निर्देश देते हुए पर्याप्त तथा आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि वे राज्य के विकास में सक्रिय अभिकर्ताओं के रूप में अपना योगदान दे सकें। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वों के साथ–साथ ये संवैधानिक प्रावधान उस कार्य रचना की स्थापना करते हैं जो कि विभिन्न कानूनों, नीतियों एवं सरकारी कार्यों का उपयुक्त अर्थ और वैद्यता प्रदान करते हैं, साथ ही राज्य की जवाबदेही भी तय करते हैं।

4. भारतीय संविधान सांप्रदायिक सद्भाव को संरक्षित करने पर जोर देता है विशिष्ट रूप से संवेदनशील समूहों तथा महिलाओं के संदर्भ में, अधिकार आधारित इस कार्य रचना में और साथ ही महिलाओं की सारगर्भित समानता हेतु मान्यता समाहित है, जो कि वर्तमान कानूनों तथा नीतियों के लिए न केवल मात्र एक व्याख्यात्मक साधन की तरह है, अपितु यह विभिन्न मुद्दों पर कानूनों और नीतियों का निर्माण करने हेतु एक अच्छा स्रोत भी है। इस बात को लगभग दो दशक हो गए हैं। संवैधानिक प्रावधान का विवरण अनुलग्नक–1 के रूप में अवलोकनीय है।

5. भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों पर सहमति दी है/स्वीकार किया है, जैसे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन

(ILO), समान पारिश्रमिक सम्मेलन 1951, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (ILO) भेदभाव (रोजगाार एवं व्यवसाय) सम्मेलन 1958, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW) 1979, बाल अधिकारों पर सम्मेलन 1989, बीजिंग डिक्लैरेशन एंड प्लैटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 एवं इसके 12 महत्वपूर्ण क्षेत्र[1], अम्मान (जॉर्डन) घोषणा 2012 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन 2006 इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों की सूची अनुलग्नक 2 के रूप में अवलोकनीय है।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की प्रतिबद्धताओं के अन्तर्गत भारत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDG) 2005 और सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 2030 तक की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वर्तमान में सतत् विकास लक्ष्य को राष्ट्रीय और राज्य योजना एवं नीतियों में समाहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

7. सतत् विकास लक्ष्य–5 जेंडर समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं तथा बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे सभी 17 सतत् विकास लक्ष्यों और उनके 169 उद्देश्य में भी समाहित हैं।

8. राजस्थान सरकार राज्य की नीतियों, योजनाओं और कानूनों की अपनी सम्पूर्ण योजना, बजट तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया में जेंडर समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के महत्व को स्वीकार करती है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

9. वर्ष 2001 में महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, जिसके अन्तर्गत महिलाओं के आगे बढ़ने, उनके विकास एवं सशक्तीकरण हेतु समन्वित रणनीति निर्धारित की गई थी। महिला नीति में अनिवार्य रूप से उनके सशक्तीकरण के लिए एवं लैंगिक समानता एवं विकास के समान अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।

10. वर्ष 2000 की राज्य महिला नीति के समय से अब तक, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं से सम्बन्धित प्रावधानों में बहुत से विकास एवं बदलाव आए हैं। साथ ही, इन क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति दर्शाने वाले आंकड़ों में भी बदलाव देखा जा सकता है। इन सभी बदलावों को देखते हुए एवं 2015 में घोषित हुए सतत् विकास लक्ष्यों 2030 के परिप्रेक्ष में राजस्थान सरकार ने पूर्व महिला नीति का पुनरावलोकन कर राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 का विकास किया है।

[1] बीजिंग घोषणा में 12 महत्वपूर्ण क्षेत्र–पर्यावरण, अधिकार और निर्णय निर्माण, बालिका के प्रति भेदभाव, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार, शिक्षा और प्रशिक्षण, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा, गरीबी, स्वास्थ्य, महिलाओं के विकास के लिए संस्थागत व्यवस्था, शस्त्र और संघर्ष का महिलाओं पर प्रभाव, मीडिया

अध्याय 1

राजस्थान राज्य महिला नीति 2021

1.1 परिकल्पना (Vision)

एक लोकतांत्रिक समाज, जिसमें सभी महिलाएँ और बालिकाएँ अपनी स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उपलब्ध सेवाओं एवं अवसरों का समान एवं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें।

1.2 उद्देश्य

1. महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए एवं जेंडर ट्रांसफोरमेटिव[2] दृष्टिकोण अपनाते हुए, महिलाओं और बालिकाओं के लिए जेंडर समान, अनुकूल और हिंसा–मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना।

2. महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

3. राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा अवसर एवं सुविधाओं तक उनकी समान पहुँच को सुनिश्चित करना।

4. सभी शासन–संस्थाओं को जेंडर–संवेदनशील बनाना; महिलाओं तथा बालिकाओं को अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को प्रकट करने में सक्षम बनाना।

5. अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास, वित्तीय–साक्षरता, पारिश्रमिक समानता, कार्य स्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

6. महिलाओं और बालिकाओं के वंचित समूहों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करना।

7. महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को रोकने हेतु कानूनी प्रणालियों तथा संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

8. लैंगिक (जेंडर) समानता वाला समाज बनाने के लिए बालकों और पुरुषों को सक्रिय अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने हेतु तैयार करना।

9. ट्रांसवीमेन को मुख्यधारा में जोडते हुए उनके लिये समुचित योजनाएँ बनाना।

[2] जेंडर ट्रांसफोरमेटिव दृष्टिकोण का तात्पर्य जेंडर असमानताओं के मूल कारकों को दूर करते हुए, महिला एवं बालिकाओं के महत्व को बढ़ाना है।

10. राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थानों, नागरिक एवं सामाजिक संगठनों, सरकार के सांविधिक निकायों और अन्य हित–धारकों के साथ अन्तः एवं अन्तर विभागीय समन्वय एवं साझेदारी सुनिश्चित करना।

11. जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट (Gender Responsive Budget) प्रक्रिया द्वारा नीति और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जेंडर के दृष्टिकोण को समाहित करने के लिए सभी क्षेत्रों में जेंडर सम्बन्धित आंकड़ों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

12. महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास के लिए मीडिया, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना।

1.3 मार्गदर्शक सिद्धांत

1. विकास की मुख्य धारा में भागीदारी
2. मानवाधिकार
3. क्षेत्रीय विविधता
4. सबसे कमजोर तक पहुँच
5. विशेष संभावना वाले वर्ग को और बेहतर बनाना

वस्तुतः लिंग के आधार पर स्त्री एक वर्ग है परन्तु सामाजिक–आर्थिक आधार पर इसमें भी उपवर्ग हैं, कुछ परिस्थितिजन्य दीर्घकालिक या अल्पकालिक उपवर्ग भी हैं जिनमें सभी की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ भिन्न–भिन्न हैं। नीति इन उपवर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीति बनाने एवं कार्यवाही करने पर बल देती है।

1.4 मुख्य क्षेत्र, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन बिन्दु

राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास हेतु 6 मुख्य क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। प्रत्येक मुख्य क्षेत्र हेतु एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये क्रियान्वयन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। 6 मुख्य क्षेत्र एवं उनके अंतर्गत क्रियान्वयन बिन्दु निम्न प्रकार हैं–

1 जन्म, उत्तरजीविता, पोषण और स्वास्थ्य

I. बाल लिंग अनुपात में वृद्धि
II. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ
III. स्वच्छता और सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की समान पहुंच
IV. संतुलित पोषक आहार

2 शिक्षा और प्रशिक्षण

I. बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि एवं ड्रॉप आउट दर में कमी
II. बालिकाओं और महिलाओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
III. बालिकाओं एवं महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि
IV. बालिकाओं और महिलाओं को खेल–कूद गतिविधियों में प्रोत्साहन
V. बालिकाओ और महिलाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण

3 आर्थिक सशक्तीकरण

I. महिलाओं की आजीविका हेतु उनका क्षमता निर्माण
II. महिलाओं की आजीविका हेतु सेवाएँ और सहायक वातावरण
III. महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुदृढ़ आवास
IV. महिलाओं और बालिकाओं का संपत्तियों पर स्वामित्व
V. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कानून

4 राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण

I. महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण
II. महिलाओं और बालिकाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

5 सुरक्षा, संरक्षण और बचाव

I. महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं और हिंसा की रोकथाम
II. महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं और हिंसा पर कार्यवाही
III. महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, बचाव और संरक्षण हेतु कानून तथा न्याय व्यवस्था

6 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएँ

I. पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका को प्रोत्साहन
II. जेंडर संवेदनशील जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबन्धन

अध्याय 2

मुख्य क्षेत्र, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन बिन्दु

राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 विषयगत प्राथमिकताओं के अनुरूप समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष के संदर्भ में बनाई गई है।

2.1 बालिकाओं और महिलाओं का जन्म, अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण

उद्देश्य

बालिकाओं की जीविता को सुनिश्चित करना, बालिकाओं और महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा उनकी खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना।

क्रियान्वयन बिन्दु

2.1.1 बाल लिंग अनुपात में वृद्धि

क. बालिकाओं के प्रति संवेदन–शीलता

1. बालिकाओं के महत्व को बढ़ावा देने एवं समाज में उनके प्रति मानसिकता में बदलाव लाने हेतु विभिन्न अभियान चलाना एवं विभिन्न हित–धारकों जैसे पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य, विधायक, समुदाय नेता, माता–पिता, परिवार, किशोर, युवा, पुरुष, शिक्षक, विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता का आमुखीकरण।
2. मीडिया द्वारा समाज में बालिकाओं के महत्व को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम, अभियान आदि चलाना।

ख. गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पी. सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम) का लिंग–आधारित गर्भपात को रोकने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन

1. विभिन्न हित–धारकों का पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम पर क्षमता–वर्धन, अधिनियम के संस्थागत व्यवस्था तंत्र को मजबूत बनाना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना।
2. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में प्रभावी पैरवी एवं कार्यवाही करना।
3. मीडिया के द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं जन्म पंजीकरण से सम्बन्धित जागरूकता बढ़ाना।

ग. बाल लिंगानुपात से सम्बन्धित योजनाओं की गुणवत्ता

1. बाल लिंगानुपात में सुधार से सम्बन्धित योजनाओं की पहुँच बढ़ाना

2. बाल लिंगानुपात में सुधार से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन और उनके प्रभाव पर शोध विकास कार्य को प्रोत्साहित करना।

घ. प्रबन्धन सूचना प्रणाली

1. बालक एवं बालिकाओं के जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना।

2.1.2 गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ

क. ग्रामीण, शहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मातृ, शिशु और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना

1. प्रसवपूर्ण जांचों में समयबद्ध रूप में पंजीकरण एवं जांच को सुनिश्चित करना।

2. संस्थागत प्रसव और सम्पूर्ण टीकाकरण को बढावा देना। माता और नवजात शिशु के लिए निरन्तर देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

3. कुपोषण के विभिन्न रूपों के चिन्हीकरण में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से ऑनलाइन एवं निरंतर मॉनिटरिंग तथा मार्किंग की व्यवस्था अपनाना।

4. आँगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में जेंडर अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना।

5. समुदाय स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की सहभागिता। स्वास्थ्य देखभाल, स्तनपान एवं पोषण सम्बन्धी पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन करते हुए उन्हें आयुष एवं आधुनिक ज्ञान से सुसंगत रूप से प्रसारित करना।

6. मातृ और शिशु मृत्यु दर की अनिवार्य रिपोर्टिंग को प्रभावी बनाना। इसके सम्भावित प्रभावी कारणों को सूचीबद्ध करना और उनमें कमी लाने हेतु रणनीति/योजना बनाकर कार्यवाही करना।

7. गर्भवती महिला, धात्री महिला और शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित जरूरतों के बारे में विभिन्न हित–धारकों जैसे पी.आर.आई, कार्यकर्ता एवं विशेषकर किशोरों और पुरुषों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाना। इस संदर्भ में मीडिया के सभी रूपों का भी उपयोग करना।

8. विशेष फोकस समूह[3] वाली बालिकाओं एवं महिलाओं में मातृ, शिशु और नवजात मृत्यु दर में कमी लाने हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना।

ख. <u>ग्रामीण, शहरी एवं दूरस्त क्षेत्रों में महिलाओं एवं किशोरियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार सुनिश्चित करना।</u>

1. महिलाओं, किशोरियों एवं किशोरों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाना।
2. परिवार नियोजन एवं विशेष रूप से अंतराल साधनों पर जागरूकता और पहुँच बढ़ाना।
3. किशोरियों और महिलाओं की माहवारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
4. गुणवत्तापूर्ण किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं का सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रावधान करना।
5. प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित रोगों से प्रभावित किशोरियों एवं महिलाओं के लिये विशेष सेवाओं को बढाना।
6. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी–एम.टी.पी.) अधिनियम 1971 के प्रति महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करना एवं गुणवत्तापूर्ण तथा सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।
7. महिलाओं, किशोरियों एवं किशोरों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति महिलाओं, पुरुषों किशोरियों एवं किशोरों एवं अन्य हित–धारकों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाना। इस संदर्भ में मीडिया के सभी रूपों का भी उपयोग करना।

---

[3] नोट–बालिकाओं और महिलाओं के कुछ समूह होते हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे समूह को नीति में विशेष फोकस समूह कहा जायेगा। इस विशेष फोकस समूह में निम्न महिलाएँ एवं बालिकाएँ मानी गई हैं–

1- पिछड़े/वंचित समूह की एवं हिंसा या हानिकारक प्रथा से प्रभावित महिलाएँ एवं बालिकाएँ–क्योंकि उन्हें भेदभाव और हिंसा का दोहरा सामना करना पड़ता है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एस.सी., एस.टी.) की महिलाएँ ,मुस्लिम महिलाएँ, दिव्यांग महिलाएँ, एकल महिलाएँ , सरोगेट माताएं, किशोरियां, एच.आई.वी. और एड्स से प्रभावित महिलाएँ, जेल में कैदी महिलाएँ, बेघर महिलाएँ, विमुक्त (डी.एन.टी./एन.टी./एस.एन.टी. समुदाय)/अधिसूचित जाति (एन.टी.)/घुमन्तु (सेमिनोमैडिक ट्राइब)/आदिम जनजाति समुदाय की महिलाएँ, महिला यौनकर्मी और उनके बच्चें, यौन अल्पसंख्यक मुख्यतः समलैंगिक महिला, ट्रांस वीमेन, लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएँ, बुजुर्ग महिलाएँ, प्रवासी महिलाएँ, महिला बंधुआ मजदूर, हिंसा एवं बाल–विवाह से प्रभावित बालिकाएँ और महिलाएँ सम्मिलित हैं। इन समूहों के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

2- परिवर्तन वाहक महिलाएँ और बालिकाएँ–महिलाओं तथा बालिकाओं के कुछ ऐसे समूह भी हैं जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं एवं समाज में बदलाव लाने के लिए परिवर्तन वाहक की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन वाहक समूह में युवा महिलाएँ और स्वायत्त शासन एवं पंचायतीराज में चुनी महिला प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी ऑर्गनाइज़ेशन एवं विभगों में कार्यरत जड–स्तर की कार्यकर्ता, खेल एवं कलाकार क्षेत्र की महिलाएँ और बालिकाएँ आती हैं। (विशेष फोकस समूह की सूची अनुलग्नक 3 में भी दिया गया है।)

8. विशेष फोकस समूह एवं विशेषतः विवाहित बालिका, महिला यौनकर्मी, घुमन्तु जनजाति एवं बेघर बालिकाओं एवं महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य हेतु उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना।

ग. ग्रामीण, शहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में गैर–संचारी बीमारियों का प्रबंधन

1. बालिकाओं, महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, मनो–सामाजिक परामर्श केंद्रों/सेवाओं को बढ़ावा देना।
2. बालिकाओं, महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह के लिए गैर–संचारी बीमारियों से सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना

घ. प्रबन्धन सूचना प्रणाली

1. स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रभावी उपयोग एवं नीति निर्धारण हेतु जेंडर आधारित आंकड़ों (जेंडर डिसेग्रीगेटेड डेटा) का संकलन एवं निगरानी और मूल्यांकन पद्धति को सुदृढ़ करना।

2.1.3 स्वच्छता और सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की समान पहुंच

क. स्वच्छता

1. सार्वजनिक स्थलों, राजकीय एवं निजी शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, कार्यालयों, संस्थानों, महिला जेलों, महिला एवं बालिका आश्रय गृहों, परामर्श केन्द्रों, पुनर्वास सेवाओं, राजमार्गों इत्यादि में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं क्रियाशील शौचालय एवं माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रबंधन करना।

ख. जल

1. शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, निजी संस्थानों, महिला जेलों, महिला एवं बालिका आश्रय घरों इत्यादि में सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की पहुंच बनाना। उन्नत और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना।
2. समुदाय आधारित जल प्रबन्धन और पारम्परिक व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

2.1.4 संतुलित पोषक आहार

1. महिलाओं, बालिकाओं एवं विशेष फोकस समूह की पोषक आहार सम्बन्धी जरूरतों पर विभिन्न हित–धारकों जैसे परिवार, स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज से जुड़े सहभागी

एवं ग्राम स्तर के कार्यकर्ता एवं विशेषकर किशोरों और पुरुषों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाना। इस संदर्भ में मीडिया के सभी रूपों का भी उपयोग करना।

2. महिलाओं, बालिकाओं एवं विशेष फोकस समूह के लिए पोषण सेवाओं की पहुंच बढ़ाना एवं पोषण सम्बन्धित पारिवारिक/सामुदायिक प्रबन्धन सेवाओं को बढ़ावा देना।
3. महिलाओं एवं बालिकाओं को विशेषतः ध्यान में रखते हुए कुपोषण मुक्ति की योजनाएँ बनाना।
4. परंपरा में प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध पोषक तत्वों के प्रति जागरूकता लाकर उनको बढ़ावा देना।
5. खाद्य विविधता को प्रोत्साहित करते हुए पोषण समृद्ध भोज्य सामग्री पर बल देना।
6. विद्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्रों/माँ–बाडी केन्द्रों, पंचायत एवं सामुदायिक भवनों आदि पर पोषक वाटिका (न्यूट्री गार्डन/किचेन गार्डन) पर बल देना, इनके लिए विभिन्न ग्रामीण–शहरी योजनाओं के सामन्जस्य से क्रियान्वयन की व्यवस्था करना, जन सामान्य को घरों पर पोषक वाटिका के विकास के लिए प्रेरित करना।
7. समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दिए जाने वाले पूरक पोषाहार एवं स्कूल शिक्षा में मिड–डे–मील के अंतर्गत दिये जाने वाले भोजन में प्राकृतिक एवं क्षेत्रीय रूप से उत्पन्न होने वाली पोषक खाद्य–सामग्री पर बल देना और इनकी आपूर्ति में स्वादानुरूपता एवं पोषकता का ध्यान रखना।
8. क्षेत्रीय कृषि उत्पादों एवं खाद्य उत्पादों के समुचित प्रसंस्करण की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, ताकि निरंतर एवं स्थानीय रूप से पोषक खाद्य सामग्री की उपलब्धता बेहतर रूप में सुनिश्चित हो।
9. पोषक मोटे अनाजों (न्यूट्री–सीरियल) के घरेलू एवं राजकीय योजनाओं में उपयोग को प्रोत्साहित करना।
10. स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए पोषक आहार के अतिरिक्त समुचित व्यवहार जैसे– स्वच्छता, योग–व्यायाम, प्रकृति अनुकूल स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली पर बल देना।

2.2 बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण

उद्देश्य

अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण के समान अवसर।

क्रियान्वयन बिन्दु

2.2.1 बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि एवं ड्रॉप आउट दर में कमी

क. बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना

1. आँगनवाड़ी केन्द्र, अन्य शालापूर्व/बाल्यावस्था शिक्षा (Pre-School/Early Childhood Education) की क्रियान्वयन संस्थाओं को प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ना एवं बालिकाओं का नामांकन बढ़ाना।
2. यथासम्भव विद्यालय, आँगनवाड़ी केन्द्र एवं मां–बाडी केन्द्र में समन्वय/एकीकरण का कार्य करना।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई 2010) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
4. बालिकाओं के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुनिश्चितता
5. नियमित शिक्षा से वंचित बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवासीय विद्यालयों, ब्रिज कोर्स, ओपन स्कूल, चल स्कूल और छात्रावासों को सुदृढ़ करना एवं इनसे सम्बन्धित नई योजनाएँ लाना।
6. बालिकाओं के स्कूल में ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव का आंकलन एवं अनुसंधान।
7. विशेष फोकस समूह वाली बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना।

2.2.2 बालिकाओं और महिलाओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

1. आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की बालिकाओं के लिए स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा और आवागमन के लिए आवश्यक सेवाएँ एवं साधन उपलब्ध कराना।

2. बालिकाओं, महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति, बैंक ऋण, हॉस्टल और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

3. स्कूलों, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कैरियर काउंसलिंग सुनिश्चित करना।

4. विशेष फोकस समूह वाली बालिकाओं एवं महिलाओं की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना।

2.2.3 बालिकाओं और महिलाओं के आत्म–सम्मान और आत्म–विश्वास में वृद्धि

1. शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं में बालिकाओं एवं महिलाओं तथा विशेष फोकस समूह के लिए जीवन–कौशल, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, कानूनी जागरूकता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

2. शिक्षण पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षा एवं परामर्श को सम्मिलित करना, स्कूल एवं कॉलेज न जाने वाली बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए इन सेवाओं को बढ़ावा देना।

3. महिलाओं, बालिकाओं और उनके विशेष फोकस समूह को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा से जोड़ना।

4. पहली से बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एक ऐसे वैकल्पिक विषय का अध्यापन हो जिसमें सरल और सुबोध रूप में व्यवहारिक जीवन के उपयोग के विभिन्न विषय जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, उद्यमिता एवं कौशल, पर्यावरण अनुकूल एवं अल्प लागत आवासों का निर्माण, जीवन कौशल, धर्म निरपेक्षता, स्थापत्य–विरासत बोध, नारी सम्मान, सामाजिक कार्य/ उत्तरदायित्व सेवाएँ, साहसिक खेल, व्यक्तित्व विकास (Personality Development), अच्छे नागरिक बनने की आवश्यक विशेषताएँ, सडक सुरक्षा एवं यातायात नियम, सामान्य कृषि एवं बागवानी, पशुपालन, प्राकृतिक संरक्षण आदि का समावेश हो। यथा सम्भव इसे एक स्वतंत्र विषय का रूप दिया जाना।
5. शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय कैडट कोर (National Cadet Corps- NCC) एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme- NSS) जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। इनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर आधारित मुद्दों को समेकित करना। इन कार्यक्रमों में बालिकाओं की सहभागिता को बढ़ाना।

2.2.4 बालिकाओं और महिलाओं को खेल–कूद गतिविधियों में प्रोत्साहन

1. शैक्षणिक संस्थाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करना एवं उसमें महिलाओं तथा बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना।
2. सभी एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की और विशेष फोकस समूह वाली बालिकाओं तथा महिलाओं के खेल के लिए समान अवसर एवं सुविधाएं जैसे कोचिंग, खेल उपकरण, चिकित्सा सहायता, पोषक आहार, वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना
3. बालिकाओं एवं महिलाओं को खेल में प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार का प्रावधान हो। बालिकाओं, बालकों, महिलाओं एवं पुरुषों को समान आयुवर्ग में समान पुरस्कार राशि दिया जाना।
4. खेल अकादमियों में प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों की भर्ती, चयन एवं प्रशिक्षण में जेंडर समानता एवं प्रशिक्षकों का जेंडर संवेदीकरण करना।

2.2.5 बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण

1. बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर विभिन्न हित–धारकों जैसे समाज, परिवार, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर के कार्यकर्ता एवं विशेषकर किशोरों और पुरुषों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाना। इस संदर्भ में मीडिया के सभी रूपों का भी उपयोग करना।
2. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं, महिलाओं एवं वर्णित विशेष फोकस समूह के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण हेतु शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, हेल्पलाइन नम्बरों का प्रदर्शन, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना।
3. शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थाओं तक आने–जाने में बालिकाओं, महिलाओं एवं वर्णित विशेष फोकस समूह को आने वाली समस्याओं के निदान हेतु कार्यक्रमों/ योजनाओं को बढ़ावा देना एवं आधारभूत ढाँचे को विकसित करना।
4. स्कूल प्रबंधन समितियों और अभिभावक–शिक्षक संघों को मजबूत बनाना और इनमें महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह की भागीदारी बढ़ाना।
5. शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधान, शिक्षक और अन्य स्कूल कार्मिकों में शैक्षणिक, सुगमकर्ता सम्बन्धित, परामर्श एवं नेतृत्व कौशल विकसित करना एवं जेंडर और विशेष फोकस समूह की शिक्षा की जरूरतों के प्रति संवेदीकरण करना।

6. शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से जेंडर अंकेक्षण (ऑडिट) करना और अंकेक्षण में बालिकाओं, महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह की भागीदारी सुनिश्चित करना।

7. शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समय–समय पर समीक्षा करना, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना एवं जेंडर समानता और समता दृष्टिकोण को समाहित करना।

8. स्कूलों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। इसके अन्तर्गत एक सुरक्षित वातावरण विकसित करना और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

9. बालिका एवं सह–शिक्षण विद्यालयों में महिला अध्यापकों की उपलब्धता।

2.3 आर्थिक सशक्तीकरण

उद्देश्य

महिलाओं एवं बालिकाओं की सम्भावित क्षमताओं को पूर्णतः अर्जित करने और कार्यबल में उनकी सहभागिता को बढ़ाने हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता के समान अवसर तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। साथ ही किफायती, सुरक्षित और अनुकूल आवास तक उनकी पहुंच बनाना और उत्पादक संपत्तियों पर उनका स्वामित्व बढ़ाना।

क्रियान्वयन बिन्दु

2.3.1 महिलाओं की आजीविका हेत हेतु क्षमता विकास एवं संवर्धन

1. आजीविका, उद्यमिता एवं कौशल में संवर्धन के लिये व्यवस्थागत एवं अनौपचारिक दोनों स्तर पर सुदृढ़ीकरण करना।

2. जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से सम्बन्धित कौशल विकास को बढ़ावा देना।

3. राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी) आदि के माध्यम से विशेष कौशल विकास केंद्र बनाना।

4. वित्तीय योजना निर्माण, गैर–पारंपरिक व्यवसायों एवं मांग आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देना। कौशल विकास प्राप्ति के लिए बने मानदंडों की समीक्षा करना और उन्हें सरल बनाना।

5. विशेष फोकस समूह के लिए एवं पुनर्वास केंद्र, आश्रय स्थल, जेल, दूरस्थ एवं ऐसे क्षेत्र, जहाँ इनकी आबादी ज्यादा हो, कौशल विकास को बढ़ावा देना।

6. कृषि, खनन, निर्माण, वानिकी, मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण, पशुपालन (डेयरी), बागवानी, परमाकल्चर एवं संबद्ध क्षेत्रों में जेंडर आधारित रूढ़ियों को तोड़ना, महिलाओं के लिए क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उनकी आजीविका के अवसरों के दायरे को बढ़ाना।

7. गांव/ब्लॉक स्तर पर महिला किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार कार्यकर्ताओं (एक्सटेंशन वर्कर्स) आदि का क्षमता विकास सुनिश्चित करना।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को व्यवसाय स्थापना, संवहन तथा विस्तार में सहयोग हेतु ग्रामीण महिला प्रबन्धकों (मिनी एम.बी.ए, व्यापार सखी आदि) का एक कैडर तैयार करना।

9. प्रवासी श्रमिकों, गृह आधारित एवं अन्य महिला श्रमिकों के लिए जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर इत्यादि पर मांग आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देना।

10. महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनााने के लिये उनमें क्षमता निर्माण एवं क्षमता वर्धन। इन स्वयं सहायता समूहों का विभिन्न कौशल विकास पर क्षमता–वर्धन को बढ़ावा देना।

2.3.2 महिलाओं की आजीविका हेतु सेवाएँ एवं सहायक वातावरण

अ. <u>आर्थिक सशक्तीकरण हेतु सेवाएँ</u>

1. शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए संस्थागत ऋण सुविधाओं का विस्तार करना।

2. शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।

3. शहरी और ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन विपणन से जोड़ना तथा विपणन के अन्य माध्यमों तक उनकी पहुंच बढ़ाना।

4. उद्योग विभाग या अन्य विभाग द्वारा जहाँ पर क्लस्टर आधरित कॉमन फैसिलिटी सैंटर (Common Facility Centre)/प्लग एंड प्ले सुविधा (Plug and Play Facilities) विकसित किये जाने के प्रावधान होंगें वहाँ पर महिलाओं के लिये भी विशेष क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सैंटर बनाये जाएं।

5. स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने के लिये राजीविका, नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन, महिला अधिकारिता आदि द्वारा स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से सम्बन्धित कार्य करने के लिये एक सम्मिलित एकीकृत प्लेटफॉर्म विकसित करना। इसकी रूपरेखा महिला अधिकारिता द्वारा राजीविका और नैशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन के समन्वय से विकसित की जायेगी।

6. जिस भी विभाग में ऋण देने की योजना हो, वहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूह के लिये ऋण की वैकल्पिक व्यवस्था होना तथा उन्हें विशेष प्राथमिकता देना।

7. राजकीय उपापन में स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करना।

8. स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन एवं उनके ब्रांड निर्माण हेतु उनके मानकीकरण, पैकेजिंग एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन को बढावा देना।

9. ऐसे राजकीय/सामुदायिक भवन जो रिक्त या अप्रयुक्त हैं, उन्हें राजकीय विभागों को आवंटित करते हुए उन्हें स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों हेतु उपयोग करने के योग्य बनाना।

10. विशेष फोकस समूह के लिए ऋण सुविधाओं, रोजगार के अवसरों एवं विपणन के माध्यम को बढ़ाना एवं उनके स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना।

ब. <u>आर्थिक सशक्तीकरण हेतु सहायक वातावरण निर्माण</u>

1. सरकारी संस्थानों/विभागों, निजी क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए क्रैच सुविधा, छात्रावास/सुरक्षित एवं किफायती आवासीय सुविधा और महिला अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना।
2. सरकारी संस्थानों/विभागों, निजी क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन एवं आवागमन सुविधाओं को बढ़ावा देना।

3. घरेलू कामगारों और अन्य गृह–आधारित श्रमिकों के लिए उचित पारिश्रमिक और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए दिशा–निर्देश और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना।

4. विशेष फोकस समूह के लिए छात्रावास/ सुरक्षित एवं किफायती आवासीय सुविधा, सुरक्षित कार्य वातावरण आदि को बढ़ावा देना।

5. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना।

6. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

7. पुरुषों को महिला द्वारा किये जाने वाले दैनिक एवं अन्य घरेलू कार्यों को करने में सहभागी बनाने हेतु संवेदनशील बनाना एवं प्रोत्साहित करना।

8. मीडिया के विभिन्न रूपों में महिलाओं को मुख्यतः दैनिक एवं अन्य घरेलू कार्यों के लिये जिम्मेदार दिखाने वाले विज्ञापन, सीरियल आदि पर रोक लगाना एवं इनके द्वारा दैनिक एवं अन्य घरेलू कार्यों में पुरुषों की सहभागिता पर जागरूकता बढ़ाना।

2.3.3 महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुदृढ़ आवास व्यवस्था

अ. <u>सेवाएँ एवं वातावरण निर्माण</u>

1. महिलाओं, बालिकाओं एवं विशेष फोकस समूह के लिए आवास ऋण, शहरी एवं अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित, पर्याप्त तथा किफायती आवास, अस्थायी/स्थायी आश्रय स्थल, बाल गृह, एवं युगल आश्रय गृह को बढ़ावा देना और उनमें जेंडर अनूकुल वातावरण सुनिश्चित करना। संचालित सम्बन्धित योजनाओं के प्रति जागरूकता लाना।

2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास, कॉलोनी तथा आश्रय से संबंधित नीतियों एवं नियोजन में जेंडर दृष्टिकोण सम्मिलित करना।

2.3.4 महिलाओं और बालिकाओं का संपत्ति पर स्वामित्व

1. महिलाओं और बालिकाओं के संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करना एवं उनके संपत्ति सम्बंधित अधिकारों पर विभिन्न हित–धारकों में मीडिया, आई.ई.सी गतिविधियाँ, प्रशिक्षण एवं अन्य माध्यमों से जागरुकता बढ़ाना। राज्य प्रशासनिक सेवा और राजस्व सेवाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में इस हेतु विशेष अध्यायों को सम्मिलित करना।

2. महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह के लिए संपत्ति स्वामित्व के अवसरों को बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ कार्य करना।

3. महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह को कृषि एवं बागवानी संबंधी भूमि विकास एवं आयोपार्जक गतिविधियों से जोडने की व्यवस्था करना।

4. जिओ–टैगिंग अथवा अन्य तकनीक/व्यवस्था के द्वारा भूमि/सम्पत्ति/स्वामित्व के चित्रीकरण (मैपिंग) को बढ़ावा देना।

2.3.5 महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कानून

1. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन। स्थानीय शिकायत समिति और आन्तरिक शिकायत समिति का गठन तथा समितियों के कार्यों की नियमित निगरानी एवं रिर्पोटिंग करना।
2. महिला श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा तंत्र तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
3. सभी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए समान कार्य–समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।
4. महिलाओं और बालिकाओं को समान अधिकार की गारंटी के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, भूमि कानूनों एवं आर्थिक सशक्तीकरण से सम्बन्धित अन्य कानूनों की समीक्षा करना एवं उनमें आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन करना।

2.4 राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण

उद्देश्य

योजना निर्माण और शासन संचालन में जेंडर दृष्टिकोण को सम्मिलित करने हेतु निर्णय निर्माण प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व में महिलाओं को सम्मिलित करना एवं जेंडर संवेदनशील संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देना।

क्रियान्वयन बिन्दु

2.4.1 महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण

अ. जेंडर संवेदीकरण और जागरूकता

1. विभिन्न आयोगों, वैधानिक निकायों के सदस्य एवं अध्यक्ष, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जन–प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्रामीण और शहरी विकास कार्यकमों के अधिकारियों का जेंडर संबंधी मुद्दों पर संवेदीकरण हेतु तंत्र विकसित करना।
2. समाज, परिवारों, महिलाओं, बालिकाओं एवं विशेष रूप से पुरुषों और बालकों को महिलाओं एवं बालिकाओं के नेतृत्व कौशल, शासन संचालन एवं निर्णय–निर्माण कौशल एवं अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना।

3. मीडिया के विभिन्न रूपों में महिलाओं का चित्रण नेतृत्व करने वाली के रूप में, प्रशासन आदि में करना एवं महिलाओं के सम्बन्धित कौशल एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना।

ब. शासन संचालन में महिलाओं की भागीदारी

1. विधायी निकायों और न्यायपालिका में सभी समुदायों की महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना।
2. पंचायतीराज संस्थाओं की महिला सदस्यों, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, महिला नेतृत्व और नीति निर्माण में कार्य कर रही महिलाओं की राष्ट्रीय तथा राज्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भूमिका को सशक्त बनाना एवं उनका क्षमता–वर्धन करना।
3. विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टर में उपलब्धि अर्जित करने वाली महिलाओं तथा बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें रोल मॉडल के रूप में पुरस्कृत करना।
4. महिला प्रधान ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्ड और राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष पुरस्कारों का प्रबन्धन करना।
5. कैरियर परामर्श, कोचिंग और छात्रवृत्ति के माध्यम से सिविल सेवाओं, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agency) में महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह की भागीदारी बढ़ाना।

2.4.2 महिलाओं और बालिकाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

अ. जेंडर संवेदीकरण और जागरूकता

1. बालिकाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित चर्चा के लिए कुछ ग्राम सभाओं का महिला सभा के रूप में आयोजन करने को सुनिश्चित करना।
2. जेंडर संवेदनशील रिपोर्टिंग पर मीडिया के विभिन्न रूपों के साथ कार्य करते हुए उन्हें महिलाओं के प्रति नकारात्मक रूढ़िवाद को चुनौती देने और उनके सकारात्मक चित्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना।
3. जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने और महिलाओं एवं बालिकाओं के मुद्दों के प्रति संस्थाओं, उनके अधिकारियों और कार्यकर्ताओं एवं समाज को संवेदनशील बनाने हेतु जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
4. जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिकाएँ और जेंडर आधारित भेदभाव के मुद्दों पर विचार–विमर्श एवं संवेदीकरण करने हेतु पुरुषों एवं बालकों के साथ जुड़ने की रणनीति विकसित करना एवं विभिन्न तंत्र स्थापित करना।

5. पुरुषों और लड़कों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जैसे एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट्स और गाइड्स प्रशिक्षण आदि में जेंडर संवेदनशील पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना।

6. बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण और संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श भूमिका का निर्वहन करने वाले पुरुषों तथा बालकों को सम्मानित करना एवं उन्हें रोल मॉडल के रूप में उभारना।

7. पत्रकारिता और मास मीडिया पाठ्यक्रमों द्वारा मीडिया उद्योग में महिलाओं के प्रवेश एवं मीडिया में निर्णायक के रूप में भूमिका को बढ़ावा देना।

8. मीडिया के सभी रूपों में महिलाओं एवं बालिकाओं के चित्रण में जेंडर सम्बन्धित रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव मिटाना और उनके लिए जेंडर संवेदनशील भाषा का उपयोग करना।

9. मीडिया के विभिन्न रूपों द्वारा महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदन–शीलता बढ़ाना।

10. मीडिया के विभिन्न रूपों में विज्ञापन, सीरियल, चर्चा आदि द्वारा पुरुषों एवं बालकों को महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने में सहभागिता निभाने के लिये प्रेरित करना।

ब. <u>अधिकारों की रक्षा</u>

1. विभिन्न सेवाओं जैसे शिक्षा, ऋण आदि के प्रपत्रों का पुनरावलोकन करते हुए एकल महिलाओं को प्रपत्र सम्बन्धित आने वाली चुनौतियों को दूर करना।

2. जिला, खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बालिकाओं, महिलाओं और विशेष फोकस समूह के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही हेतु ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से जन सुनवाई को बढ़ावा देना।

स. <u>विकास हेतु निवेश</u>

1. महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों जैसे आधारकार्ड, राशन कार्ड, बीमा उत्पाद, पेंशन, सब्सिडी तथा अन्य रियायतों की पहुँच बढ़ाना एवं उनके लिए मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाओं एवं इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना।

2. राज्य के बजट निर्माण कार्य में जेंडर बजटिंग को समेकित करना।

द. प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं मूल्यांकन

1. बालिकाओं, महिलाओं और विशेष फोकस समूह से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आंकड़ों के संधारण हेतु सम्बन्धित योजनाओं, कार्यक्रमों, ग्राम सभा, महिला सभा, जन संवाद आदि के प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत बनाना।
2. राज्य में विशेष फोकस समूह एवं सभी महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी तथा उनके अवसरों को सीमित करने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत सम्बन्धित प्रावधानों की समीक्षा एवं उपयुक्त परिवर्तन लाना।
3. भारत के संविधान के संदर्भ में प्रथागत और व्यक्तिगत कानूनों का पुनरीक्षण करना।

2.5 सुरक्षा, संरक्षण और बचाव

उद्देश्य

बालिकाओं एवं महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने एवं उनके लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा सक्षम वातावरण बनाने हेतु हिंसा की रोकथाम करना, हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ बनाना एवं सम्बन्धित कानूनों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

क्रियान्वयन बिन्दु

2.5.1 महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं (बाल–विवाह, लिंग चयन और डायन प्रताडना) और हिंसा की रोकथाम

अ. जेंडर संवेदीकरण और जागरूकता

1. गृह विभाग के विशेषकर जेल विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों, आपराधिक न्याय व्यवस्था (Criminal Justice System), पुनर्वास सेवाएँ देने वाली संस्थाओं को हिंसा से प्रभावित बालिकाओं तथा महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाना।
2. महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह की सुरक्षा एवं संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दे, कानून तथा सेवाओं के बारे में विभिन्न हित–धारकों एवं समाज को जागरूक बनाना। इस हेतु मीडिया के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग करना।

3. बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और हानिकारक प्रथाओं पर पुरुषों एवं लड़कों को संवेदनशील बनाना; साथ ही, उन्हें हिंसा तथा भेदभाव की रोकथाम में समान भागीदार के रूप में सम्मिलित करना।

ब. सुरक्षित वातावरण विकास

1. महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह के लिए स्कूल, कॉलेज एवं अन्य माध्यमों द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

2. स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम हेतु समुचित प्रावधान करते हुए सामुदायिक कार्यवाही मंचों (Community Policing Platforms) को क्रियाशील बनाना।

3. प्रतिष्ठा से सम्बन्धित अपराधों और हत्याओं (Honour Crimes and Honour Killings) को रोकने हेतु गांव की जाति तथा खांप पंचायतों को दिशा–निर्देश जारी करना।

4. ग्राम पंचायत एवं शहरी विकास योजनाओं में जेंडर संबंधी मुद्दों को समेकित करना और सुरक्षा अंकेक्षण (ऑडिट) द्वारा ग्राम पंचायतों, गांवों एवं शहरों में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित करना।

5. आवासीय बस्तियों, स्कूलों एवं कॉलेजों के पास शराब और अन्य हानिकारक पदार्थों की बिक्री को नियन्त्रित करना। शराब की दुकानों के पास एवं अन्य स्थानों पर नशा मुक्ति केन्द्र बनाना।

6. आपदा एवं महामारी आदि की स्थिति में महिलाओं और बालिकाओं पर बढ़ने वाली हिंसा तथा भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।

7. विशेष फोकस समूह एवं बुजुर्ग महिलाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देना।

स. हानिकारक प्रथाओं पर रोक

1. बाल विवाह, दहेज प्रथा, डायन प्रताडना और जेंडर आधारित लिंग चयन जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने हेतु रणनीतिक कार्य योजना का विकास एवं क्रियान्वयन करना, शहरी एवं ग्राम पंचायत विकास कार्य योजना में इसे सम्मिलित करना।

2. हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम हेतु पंचायतीराज संस्थानों, पुरुषों और मीडिया की भूमिका को सुदृढ़ करना।

द. साइबर सुरक्षा

1. महिलाओं और बालिकाओं के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक उपाय एवं मजबूत इंटरनेट अभिशासन व्यवस्था (Internet Governance) को बढ़ावा देना।

2. साइबर अपराध रोकथाम हेतु जागरूकता, स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा विषय को सम्मिलित करना।

3. साइबर अपराध से निपटने हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत करना।

य. एसिड हमलों की रोकथाम

1. एसिड हमलों को रोकने एवं शराब और एसिड की बिक्री को नियन्त्रित करने के लिए रणनीतिक उपाय विकसित करना। इसके लिये महिला अधिकारिता के समन्वय से आवश्यक नियम बनाना।

र. बुनियादी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

1. महिला पुलिस बल बढ़ाना और सभी जिलों में महिला थानों को मजबूत करना।

2. बालिकाओं, महिलाओं और विशेष फोकस समूह की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवहन, आवास, शिक्षा, शहरी नियोजन, डिजाइन एवं आधारभूत ढांचा (Urban Planning, Design and Infrastructure) आदि में जेंडर बजटिंग और ऑडिटिंग का समाकलन करना।

3. हिंसा से बचाव के लिए या उससे प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं के लिए सूचना तथा रेफरल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु मीडिया के विभिन्न रूपों, विभिन्न ऐप्लीकेशन, नवीन प्रौद्योगिकी एवं हेल्पलाइन सेवा को सुदृढ बनाना।

ल. प्रबन्धन सूचना प्रणाली एवं मूल्यांकन

1. सरकार और नागरिक समाज संगठनों के समान सहयोग से महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए संचालित कानून, कार्यक्रम एवं योजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा।

2. महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा से सम्बन्धित प्रबन्धन सूचना प्रणाली (MIS) को सुदृढ़ बनाना एवं उसके अनुरूप हिंसा की रोकथाम हेतु कार्य करना।

2.5.2 महिलाओं और बालिकाओं पर हुई हानिकारक प्रथाओं और हिंसा पर कार्यवाही–

अ. पुनर्वास सेवाएँ

1. सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में हिंसा तथा भेदभाव से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को मनो–सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कानूनी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का एक कैडर विकसित करते हुए परामर्श सेवाओं को सुदृढ बनाना।
2. जिला और खंड स्तर पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए एक छत के नीचे मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और कानूनी परामर्श सेवाएँ एवं अस्थायी आश्रय हेतु एकल खिड़की आपात केंद्रों (Single Window Crisis Centres) को बढ़ावा देना। इस सम्बन्ध में विभिन्न सहायता प्रदाता सेवाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना।
3. जेंडर संवेदनशील आश्रय गृहों और आजीविका कौशल विकास एवं शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रमों के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए पुनर्वास सेवाओं को मजबूत तथा प्रभावी बनाना। आश्रय गृहों, नारी निकेतन एवं वृद्धाश्रमों में मानसिक रूप से अस्थिर, हिंसा से प्रभावित एवं अन्य महिलाओं और बालिकाओं को पृथक–पृथक रूप से रखा जाये, इनके लिए मानक संचालन पद्धति (Standard Operating Procedures) तैयार करना।
4. मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए रणनीति तैयार करना।
5. बलात्कार और एसिड हमले (Acid Attack) से पीड़ित महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए चिकित्सा सहायता योजना/कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
6. महिला कैदी, अभियुक्त एवं अपराधी महिलाओं और बालिकाओं (Women and Girls in Conflict with Law) हेतु मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक तथा कानूनी परामर्श सेवाएँ, जेंडर अनुकूल कारागार, मुआवजा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।
7. महिला कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक व्यवस्था में पुनर्एकीकरण को सुनिश्चित करना, उन्हें नियमित पैरोल देना एवं उनको खुली जेलों में स्थानान्तरित करने को बढ़ावा देना।
8. सुनिश्चित करना कि महिला कैदियों और उनके परिवारों एवं बच्चों के बीच नियमित सम्पर्क बना रहे।

ब. हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं पर कार्यवाही हेतु तंत्र

1. महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने वाली समिति एवं संस्थानों का क्षमता–वर्धन एवं सुदृढ़ीकरण।
2. महिलाओं और बालिकाओं के साथ हिंसा से संबंधित मामलों के संवेदनशील संचालन के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों, न्यायपालिका, पुलिस तथा कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agencies) के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
3. जेंडर आधारित हिंसा की जांच में आयोगों और वैधानिक निकायों की जवाबदेही बढ़ाना।

2.5.3 महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, बचाव तथा संरक्षण हेतु कानून एवं न्याय

अ. कानून

1. महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों की समीक्षा कर (अ) संभावित अपराधियों के लिए अधिक कठोर कानून बनाना; (ब) महिलाओं और बालिकाओं द्वारा आवेदन करने में कानून को सहायक, सुरक्षित और सरल बनाना (स) उन्हें इस प्रकार बनाना कि उनका दुरुपयोग न हो सके एवं अपराध के लिए उपयुक्त सजा का प्रावधान हो (द) महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह की रक्षा हेतु न्याय की उपलब्धता को त्वरित, निश्चित तथा प्रभावी बनाना एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. राज्य में एसिड हमले (Acid Attack) को नियंत्रित करने के लिए कानून/नियम विनियम विकसित करना एवं पीडिता की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करना।
3. महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा उनके संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं अधिनियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त कानूनी सहायता, उन्हें पैरा–लीगल स्वयंसेवकों के रूप में सम्मिलित होने हेतु बढ़ावा देना।

ब. न्याय प्रणाली

1. महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को सुदृढ़ करना।
2. संवैधानिक और न्यायिक ढांचे के भीतर महिलाओं तथा बालिकाओं के खिलाफ हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं से संबंधित शिकायतों/मामलों के निवारण हेतु मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।

3. हानिकारक प्रथा एवं हिंसा से पीड़ित बालिकाओं और महिलाओं के तथा उनके केस में गवाहों के संरक्षण हेतु प्रोटोकॉल एवं दिशा–निर्देश तैयार/पुनरावलोकन करना।

2.6 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएँ

उद्देश्य

आपदा जोखिम में कमी लाने एवं जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में जेंडर संवेदनशील रणनीतियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के लिए पर्यावरण तथा जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना।

क्रियान्वयन बिन्दु

2.6.1 पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका को प्रोत्साहन

1. पर्यावरण नीति नियोजन में महिलाओं के पर्यावरण सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान को सम्मिलित करना।
2. नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, मिनी–ग्रिड सोल्यूशन आदि पर महिलाओं, विशेष फोकस समूह एवं उनके स्वयं सहायता समूहों का क्षमता–वर्धन। महिलाओं तक इन उर्जा विकल्पों की किफायती दर पर पहुँच को बढ़ावा देना।

2.6.2 जेंडर संवेदनशील जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन

1. जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन सम्बन्धित नीति और कार्यक्रम विकास एवं संचालन में जेंडर संवेदन–शीलता एवं दृष्टिकोण लाना।
2. आपदा के दौरान रोकथाम, बचाव और प्रबंधन कार्य में महिलाओं, बालिकाओं तथा विशेष फोकस समूह की जरूरतों का ध्यान रखना एवं आपदा के कारण उन पर बढ़ने वाले भेदभाव एवं हिंसा को रोकने हेतु सेवाएँ।
3. आपदाओं के दौरान बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तीकरण सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
4. बालिकाओं और महिलाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने हेतु विभिन्न विभागों की आपदा रोकथाम और प्रबंधन योजनाओं को समेकित करने के लिए एक डेस्क स्थापित करना।
5. कृषि पद्धतियों और सम्बन्धित क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में महिला समूहों की समझ को बेहतर बनाना एवं उनका क्षमता–वर्धन करना। इस संदर्भ में मीडिया के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग करना।

अध्याय 3

संस्थागत तंत्र

राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विभागों द्वारा विकसित की जाने वाली प्रस्तावित अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं को समय पर क्रियान्वित किया जाए। कार्य योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन विभागीय और अन्तर्विभागीय समन्वय पर भी निर्भर करता है। नीति के प्रभावशाली क्रियान्वयन, सतत निगरानी और समीक्षा के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है, अतः वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक समीक्षा तथा समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी।

3.1 राज्य स्तरीय वार्षिक समीक्षा और समन्वय बैठक

राज्य स्तर पर, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति वार्षिक आधार पर राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। राज्य स्तरीय समिति में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, गृह और अन्य सभी संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, यू.एन.एजेन्सी, सिविल सोसायटी संगठन (civil society organizations) एवं महिला संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग इस राज्य स्तरीय समिति के संयोजक होंगे। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता (जेंडर सैल) नोडल एजेन्सी होगा। राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संशोधन, संवर्धन या विलीनीकरण के लिये समस्त विभागों द्वारा निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से समय–समय पर आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव के अनुमोदन से तदनुरूप आदेश निकाले जा सकेंगें।

3.2 अर्धवार्षिक समीक्षा हेतु राज्य टास्क फोर्स का गठन एवं समन्वय बैठक–

राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर एक राज्य टास्क फोर्स का संगठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस राज्य टास्क फोर्स के निम्न सदस्य होंगेः–

क–नीति के बिन्दु संख्या 3.1 में दिये गये सभी हित–धारक विभागों के प्रतिनिधि/अधिकारीगण जो कि उपशासन सचिव के स्तर से कम के न हो ।

ख– राजस्थान राज्य महिला आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि ।

ग– यू.एन. एजेन्सी (यू.एन.एफ.पी.ए, यू.एन. विमन, यूनीसेफ, यू.एन. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आदि) के प्रतिनिधि।

घ– सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि ।

प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग इस राज्य स्तर समिति के संयोजक होंगें। राज्य टास्क फोर्स द्वारा अर्धवार्षिक रूप से राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं समन्वय बैठक की जाएगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति पर और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। निदेशालय महिला अधिकारिता, राज्य टास्क फोर्स की बैठक के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय करेगा एवं इसकी नोडल एजेंसी होगा।

3.3 त्रैमासिक समीक्षा और समन्वय बैठक हेतु कोर ग्रुप का गठन

प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में कोर समूह का गठन किया जायेगा जिसमें प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में महिला अधिकारिता के अधिकारियों और आमंत्रित विभागों एवं विकास भागीदारों की उपस्थिति में त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। जेंडर प्रकोष्ठ, निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी होगा।

3.4 जिला स्तरीय समीक्षा और समन्वय बैठक

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पूर्व से ही गठित जिला टास्क फोर्स में नीति के बिन्दु संख्या **3.1 में दिए गए सभी हित–धारक विभागों के** जिला स्तरीय अधिकारी (डी.एल.ओ.) भी उसके सदस्य होंगे। इस जिला टास्क फोर्स की होने वाली नियमित बैठकों में जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अनुरूप समस्त विभागों द्वारा जिला स्तर पर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

3.5 एकीकृत ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्लेटफॉर्म

इस नीति के प्रत्येक बिंदु पर संबंधित विभागों की टिप्पणी एवं प्रगति को अंकित करने के लिए एक 'एकीकृत ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्लेटफोर्म निर्मित होगा। इसमें नीति के संचालन के लिए आवश्यक भूमिका निभाने वाले विभागों के आधार सामग्री/आँकडे की उपलब्धता के लिए भी उनके पोर्टल से आवश्यक इन्टीग्रेशन की कार्यवाही की जाएगी। एकीकृत ऑनलाइन मॉनीटरिंग कार्य DoIT के सहयोग से महिला अधिकारिता (जेंडर सैल) द्वारा संपादित किया जाएगा।

अध्याय 4

रणनीति एवं क्रियान्वयन

4.1 कार्य योजना का विकास

- निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान राज्य महिला नीति– 2021 के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग की भूमिका निभा सकेगा और वह राजस्थान राज्य महिला नीति के लिए समन्वित एवं एकीकृत कार्य–योजना विकसित कर सकेगा। इसके क्रम में नोडल विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग भी समान एवं सक्रिय रूप में उत्तरदायी होंगे। चूंकि प्रत्येक विभाग का कार्य क्षेत्र भिन्न है और विशेष फोकस समूह भी अलग–अलग स्तर पर और रूप में वर्गीकृत है अतः इनमें आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्रियान्वयन बिन्दुओं के संदर्भ में 'सेक्टोरल कार्य–योजना' भी विकसित करेंगे। इस समस्त क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 की क्रियान्वयन निर्देशिका विकसित कर सकेगा।

4.2 राज्य महिला नीति 2021 एवं नीति की एकीकृत कार्य–योजना' का मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन

राज्य स्तरीय वार्षिक समीक्षा और समन्वय बैठक के कार्यवाही बिन्दु आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार मूल्यांकन, पुनरावलोकन एवं संशोधन के लिए अपेक्षित अभिशंषा या कार्यवाही की जा सकेगी। यदि इनके समन्वय एवं क्रियान्वयन में कोई चुनौती या बाधा आयेगी, तो उसके निराकरण के लिए उपयुक्त समिति का गठन किया जा सकेगा।

4.3 विभागों के उत्तरदायित्व

राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 की परिकल्पना एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नीति क्रियान्वयन निर्देशिका बनाई जायेगी, जिसमें सभी विभाग निम्न वर्णित भूमिका निभायेंगे–

i. राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता एवं मुख्य क्षेत्रों के नोडल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने एवं नियमित रूप से नीति संचालन पर प्रगति साझा करने हेतु सभी विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो कि उप शासन सचिव/संयुक्त सचिव के पद से कम के नहीं होंगे।

ii. राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 क्रियान्वयन निर्देशिका के अनुरूप निर्धारित समय में सेक्टोरल एवं एकीकृत कार्य–योजना के संबंध में विभिन्न विभाग निम्न रूप में महिला नीति के नोडल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे–

I. नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संकेतकों एवं स्वयं विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुरूप लघु, मध्यम और दीर्घावधि कार्य–योजना बनाना।

II. एकीकृत ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्लेटफॉर्म के लिये आधार सामग्री/आँकडे साझा और प्रदर्शित करना।

III. क्रियान्वयन निर्देशिका के अनुरूप सभी विभागों द्वारा निर्धारित समय में प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना।

IV. क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य–योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।

4.4 विभिन्न क्षेत्रों के भीतर विभागीय एवं अन्तर–विभागीय समन्वय

समन्वय और सहयोग की मौजूदा प्रक्रियाओं को मजबूत करते हुए, महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने, मौजूदा संसाधनों के प्रभावी समन्वय तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों एवं हित–धारकों को सम्मिलित करते हुए, नए तंत्र विकसित किए जाएंगे। आवश्यकतानुसार वित्त एवं योजना विभाग से परामर्श अनुसार बजट प्रावधान किए जाएंगे।

4.5 जेंडर उत्तरदायी बजट (Gender Responsive Budgeting- GRB)

जेंडर बजटिंग (जी.आर.बी.) महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन की निगरानी हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। जी.आर.बी. को अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। राज्य बजट को जेंडर संवेदी बनाने के उद्देश्य से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जेंडर आधारित बजट के मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। महिला और बाल विकास विभाग जेंडर आधारित बजट के आंकड़ों को संकलित करने एवं सभी विभागों द्वारा इस प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। जेंडर आधारित बजट की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा एवं उनका इस प्रक्रिया पर समय–समय पर प्रशिक्षण भी करेगा।

4.6 जेंडर को मुख्यधारा में लाना (Gender Mainstreaming)

जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जेंडर आधारित भेदभाव को कम करने के लिए जेंडर का दृष्टिकोण सभी नीति और कार्यक्रम के विकास तथा क्रियान्वयन के सभी चरणों में सम्मिलित हो। विभिन्न हित–धारकों के साथ समन्वय में नीति और कार्यक्रमों के विकास तथा क्रियान्वयन के सभी चरणों में जेंडर के परिप्रेक्ष को सम्मिलित करने के लिए योजना विकसित की जाएगी। विभिन्न विभागों में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। जिला कार्य योजनाओं में भी जेंडर दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाएगा।

4.7 जेंडर ट्रान्सफोरमेटिव दृष्टिकोण (Gender Transformative Approach)

बालिकाओं, महिलाओं और अन्य यौनिकता के प्रति लोगों के विचार तथा रवैये को बदलने के लिए जेंडर ट्रान्सफोरमेटिव दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। विभिन्न कार्यक्रमों और कार्य योजनाओं के विकास में जेंडर ट्रान्सफोरमेटिव दृष्टिकोण अपनाया जायेगा, जो कि लक्ष्य समूह पर काम करने के साथ–साथ लक्ष्य समूह के आस–पास के वातावरण पर भी काम करने के लिए जोर देता है।

4.8 जेंडर ऑडिट (Gender Audit)

राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं से संबंधित संस्थानों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में जेंडर अनुकूल सेवाओं की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जेंडर ऑडिट महत्वपूर्ण है। यह साक्ष्य–आधारित नीति/रणनीतियों के विकास में प्रमाण के रूप में सुविधा प्रदान करेगा।

4.9 जेंडर एवं आयु आधारित आधार सामग्री/आँकडे और व्यय (Gender and Age Disaggregated Data) एवं उनकी ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर उपलब्धता

मौजूदा चुनौतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर एवं आयु आधारित आधार सामग्री/आँकडे की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के तहत, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित अलग–अलग आधार सामग्री/आँकडे की आवश्यकता को सूचीबद्ध किया जाएगा और मौजूदा आधार सामग्री/आँकडे के स्रोतों को चिन्हित किया जाएगा। जेंडर सम्बन्धित आधार सामग्री/आँकडे की अनुपलब्धता की पहचान की जाएगी और जेंडर से सम्बन्धित अलग–अलग आधार सामग्री/आँकडे को रिकॉर्ड करने हेतु एक रणनीति विकसित की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों की व्यक्तिगत लाभ योजना में समस्त विभागों द्वारा लाभार्थियों का आधार सामग्री/आँकडे स्त्री, पुरुष एवं अन्य जेंडर के रूप में और साथ ही शिशुवस्था, बाल्यवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था जैसे यथासम्भव आयुवर्ग में ऑनलाइन रूप

से नामवार एवं क्षेत्रवार (यथा सम्भव सबसे निचली इकाई तक) संधारित करने की व्यवस्था की जायेगी एवं उसका संकलित आधार सामग्री/आँकडे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। इन पर होने वाले व्यय की भी अलग–अलग सूचना प्रदर्शित की जायेगी।

4.10 विशेष फोकस समूह सम्बन्धित आधार सामग्री/आँकडे का संधारण

विशेष फोकस समूह पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने के लिये क्षेत्रवार (यथा सम्भसव सबसे निचली इकाई तक) उनके आधार सामग्री/आँकडे को पृथक से संधारित किया जायेगा। यह आधार सामग्री/आँकडे विशेष फोकस समूह के लिये नीति में दिये गये 6 मुख्य क्षेत्रों से सम्बन्धित होगा। आधार सामग्री/आँकडे

4.11 शोध एवं साक्ष्य–सृजन (Evidence-Generation) के माध्यम से प्रबंधन

साक्ष्य–आधारित नीति बनाने और मौजूदा कमियों की पहचान करने के लिए, साक्ष्य सृजन नीति के क्रियान्वयन का एक अभिन्न अंग होगा। मौजूदा साक्ष्यों और आधार सामग्री/आँकडे की समीक्षा की जाएगी। साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक (Qualitative and Quantitative) अनुसंधान एवं अध्ययन किए जाएंगे। अनुसंधान महिलाओं, बालिकाओं एवं विशेष फोकस समूह के लिये आयुवर्ग वार एवं क्षेत्रवार किया जायेगा। इसके साथ ही जेंडर ऑडिट, मौजूदा सर्वेक्षण और अध्ययनों के माध्यम से उत्पन्न आधार सामग्री/आँकडे का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाएगा तथा नीति संक्षेप (Policy Brief) विकसित किए जाएंगे।

4.12 पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (Public Private Partnership- PPP)

नीति में वर्णित 8 मुख्य क्षेत्रों में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह के लिये आधारभूत ढाँचे और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजीक्षेत्र–सार्वजनिक भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) को बढावा देना।

4.13 पुरुष एवं बालकों के साथ कार्य

नीति में वर्णित सभी 6 मुख्य क्षेत्रों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पुरुषों और बालकों के साथ विशेष रूप से कार्य और और उद्देश्य पूर्ति में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिये विभिन्न माध्यमों द्वारा उन तक पहुँच बनायी जायेगी और पुरुषों और बालकों को महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास में सहभागी के रूप में आगे लाया जायेगा।

4.14 मीडिया के साथ कार्य

पत्रकारिता और मास मीडिया पाठ्यक्रमों द्वारा मीडिया उद्योग में महिलाओं के प्रवेश एवं मीडिया में निर्णायक के रूप में भूमिका को बढ़ावा दिया जायेगा। मीडिया के सभी रूपों में महिलाओं एवं बालिकाओं के चित्रण में जेंडर सम्बन्धित रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव मिटाया जायेगा और उनके लिए जेंडर संवेदनशील भाषा का उपयोग किया जायेगा। मीडिया के विभिन्न रूपों द्वारा महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदन–शीलता लायी जायेगी। मीडिया का प्रयोग महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भी किया जायेगा।

4.15 हित–धारकों के साथ समन्वय

महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा। महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौजूदा चुनौतियों की पहचान की जाएगी एवं उन्हें कम करने के लिए पैरवी रणनीति का प्रयोग किया जायेगा। विभिन्न हित–धारकों तक पहुंच बनाने के लिए और साथ ही ऐसे संगठनों जो महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके गठबंधन और नेटवर्क के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्यापक पैरवी रणनीति (Advocacy Strategy) विकसित की जाएगी।

4.16 सामुदायिक सहभागिता

पितृ–सत्तात्मक और पारंपरिक सामाजिक मानदंड, जो जेंडर असमानताओं को बढ़ावा देते हैं, उन्हें तोड़ने की आवश्यकता है जिससे कि एक जेंडर समानता वाला समाज विकसित किया जा सके। सरकारी कार्यक्रमों और संस्थागत तंत्रों के विभिन्न मंचों पर जेंडर संबंधी चुनौतियों को साझा करने के लिए, जेंडर आधारित अनियमितताओं की पहचान की जाएगी और समाज में नए सकारात्मक मानदण्डों को सक्रियता से स्थापित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organizations) एवं सामुदायिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अध्याय 5

सहभागिता

बालिकाओं और महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और सशक्तीकरण में सभी क्षेत्र एवं विभागों की भूमिका है, अतः राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रों में राज्य तथा पंचायत स्तर तक समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के क्रियान्वयन में निम्न भागीदार सूचीबद्ध हैं।

5.1 राजस्थान सरकार

यू.एन.एजेंसी, गैर–सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर राज्य सरकार महिलाओं तथा बालिकाओं के सशक्तीकरण एवं विकास के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। नीति के क्रियान्वयन में सहभागिता निभाने वाले राज्य सरकार के प्रमुख विभाग निम्नानुसार हैं:

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
2. महिला एवं बाल विकास विभाग
3. वित्त विभाग
4. योजना विभाग
5. चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
6. शिक्षा विभाग
7. कॉलेज शिक्षा विभाग– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सहित
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
9. गृह विभाग
10. पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग
11. शहरी विकास, आवास और स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ
12. खाद्य और उपभोक्ता विभाग
13. कृषि और राजस्व विभाग
14. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग
15. कानून और न्याय विभाग
16. वन विभाग
17. पर्यावरण विभाग
18. परिवहन विभाग
19. उद्योग विभाग
20. श्रम विभाग
21. राजस्थान कारागार विभाग

22. जन–सम्पर्क विभाग
23. युवा मामले एवं खेल
24. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

5.2 पंचायती राज संस्थाएँ

पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवश्यक पंचायत स्तर तक आवश्यक बुनियादी सेवाओं के विस्तार तथा गुणवत्ता की निगरानी करेगी। पंचायतीराज संस्थाएँ बालिकाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर परिवारों, पुरुषों तथा बालकों एवं समुदाय को जुटाते हुए बालिकाओं एवं महिलाओं के समग्र विकास में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगी।

5.3 शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकाय, शहरी आवासन, जल सुविधा, स्वच्छता, कचरा प्रबन्धन, परिवहन इत्यादि के मामले में नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व वहन करेंगें। यह महत्वपूर्ण है कि इन शहरी निकायों को जेंडर रैस्पॉनसिव कार्यक्रमों से आमुख किया जाए और इसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

5.4 निजी क्षेत्र (Private Sector)

बुनियादी सेवाओं विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रदाता के रूप में तथा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (फिक्की) एवं अन्य उद्योग संघों सहित निजी क्षेत्र को बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों का योगदान करना चाहिए।

5.5 शैक्षणिक और अनुसंधान संगठन

शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव से विभिन्न संदर्भों में बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करने में मदद मिलेगी, इससे वे कारक सामने आएगें जो उनकी खुशहाली का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पर उनकी बेहतरी और विकास में सहयोग के लिए विशेष नीति निर्देश दिए जा सकेंगे।

5.6 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Rajasthan State Ccommission for Protection of Child Rights)

बच्चों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करने के अलावा, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस नीति के क्रियान्वयन को व्यवस्थित और व्यापक रूप से प्रसारित करने, इसके क्रियान्वयन की निगरानी एवं गुणवत्ता अनुसंधान में योगदान देगा।

5.7 राजस्थान राज्य महिला आयोग (Rajasthan State Commission of Women)

राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्राथमिक भूमिका महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली भेदभावपूर्ण मामलों की जांच करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना और महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास हेतु सरकार के साथ समन्वय में सलाह देना तथा उनके अनुरूप कार्य करना है।

5.8 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी और सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी

संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी एवं सामुदायिक स्तर पर राज्य के साथ काम कर रहे अनेक संगठन राज्य की महिला नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के योगदान करेंगे, जैसे संस्थात्मक तंत्र और सेवाओं को मजबूत बनाना, हित–धारकों की क्षमता–वर्धन, जागरूकता विकास, पैरवी, सामाजिक समूहीकरण जिसमें बालिकाएँ, महिलाएँ एवं अन्य स्थानीय समुदाय सम्मिलित होंगे; ज्ञान आधार का विकास, परम्पराओं का नवाचार एवं स्थिति की निगरानी भी करनी होगी।

5.9 ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/स्वयं सहायता समूहों/युवाओं/किशोरों/शिक्षकों और पुरुषों तथा बालकों की भागीदारी

कार्मिकों, अधिकारियों, अध्यापकों, महिला समूहों, शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर की संस्थाएँ, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर काम करने वाली विभिन्न समितियों जैसे कि स्कूल प्रबन्धन और विकास समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति इत्यादि, युवा और किशोरों आदि में सामाजिक परिवर्तन लाने की उच्च क्षमता सम्भावनाएँ निहित हैं। ये सभी मिलकर बालिकाओं और महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण, विकास तथा क्रियान्वयन के लिए प्रभाशाली भूमिका निभा सकते हैं।

5.10 परिवार

प्राथमिक देखभाल कर्ताओं और सामाजिक मूल्यों के भण्डार के रूप में परिवारों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा, पोषण, मौलिक मूल्यों तथा शिक्षा आदि को उपलब्ध कराए जाने तथा सभी क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं के विकास एवं प्रगति के लिए अत्यधिक जरूरी है।

5.11 मीडिया

मीडिया किसी भी मुद्दे पर लोगों की सोच को विकसित करने में सक्षम होता है, अतः मीडिया के विभिन्न स्रोतों को लोगों को जेंडर एवं जेंडर सम्बन्धित मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए एवं महिलाओं और बालिकाओं के प्रति समाज का रवैया एवं सोच को सकारात्मक बनाने के लिए उपयोग में लिया जाएगा।

अनुलग्नक (Annexure)

अनुलग्नक 1

महिलाओं और बालिकाओं के लिये संवैधानिक प्रावधान

मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद 14 : महिलाओं के लिए कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 15 (1) : धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा।
  अनुच्छेद 15 (3) : महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 16 : राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर।
- अनुच्छेद 19 : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें संघ तथा संगठन बनाने का अधिकार सम्मिलित है; शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार।
- अनुच्छेद 21 : जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायालयों ने अनुच्छेद 15, 19 और 21 के तहत अधिकारों के दायरे की व्याख्या तथा विस्तार किया है, जिसमें आजीविका एवं आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मुफ्त शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है।
- अनुच्छेद 21 ए : 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से न्यायालयों द्वारा न्यायोचित अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई थी।

निर्देशक सिद्धांत

- अनुच्छेद 38 लोगों के संवर्धन और कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को राज्य द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
- अनुच्छेद 39 (ए) : पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार
- अनुच्छेद 39 (डी) : पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन
- अनुच्छेद 39 ए : सभी नागरिकों के लिए न्याय हासिल करने के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर और मुफ्त कानूनी सहायता के आधार पर न्याय प्राप्त करने का अधिकार

- अनुच्छेद 42 : मातृत्व लाभ और राहत/कार्य सम्बन्धी मानवीय स्थितियों की उपलब्धता के लिए
- अनुच्छेद 46 : कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर जोर देना तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण के सभी रूपों से उनका संरक्षण।
- अनुच्छेद 47 : जीवन स्तर और पोषण के स्तर में सुधार
- अनुच्छेद 51 (ए) (ई): सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना तथा महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग

1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधनः पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण

- अनुच्छेद 243 डी (3) : प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों में से कम से कम एक तिहाई आरक्षण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित); का प्रावधान तथा एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसी सीटों का रोटेशन द्वारा आवंटन का निर्धारण।
- अनुच्छेद 243 डी (4) : प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल कार्यालयों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण।
- अनुच्छेद 243 टी (3): महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या), प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या; और एक नगर पालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसी सीटों का रोटेशन।
- अनुच्छेद 243 टी (4): अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालयों का आरक्षण इस तरह से हो कि राज्य के विधायिका कानून द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था कायम हो सके।

अनुलग्नक –2

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध

1. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 (Universal Declaration of Human Rights-UDHR 1948) : 1948 में घोषित मानव अधिकारों में पहली बार सार्वभौमिक मानवाधिकारों को सार्वजनिक रूप से संरक्षित करना निर्धारित किया। इसने महिलाओं के समानता के अधिकार को मान्यता दी।

2. नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

- कन्वेंशन का अनुच्छेद 1 ''नस्लीय भेदभाव'' को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

  किसी भी प्रकार के भेद, बहिष्कार, प्रतिबंध या नस्ल, रंग, उत्पत्ति, या राष्ट्रीय या जातीय मूल के आधार पर वरीयता जो मानवाधिकारों के एक समान स्तर पर मान्यता, अधिकारों की प्रगति में बाधा या व्यवहार को अशक्त या प्रभावित करने का उद्देश्य या प्रभाव और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सार्वजनिक जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रता का हनन।

3. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (International Covenant on Civil and Polictical Rights-ICCPR) पर अंतर्राष्ट्रीय करार –ICCPR द्वारा मान्यता प्राप्त

- जीवन का अधिकार
- मनमाने तरीके से हिरासत में रखने/गिरफ्तारी, दासता, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ संरक्षण
- कानून के समक्ष समानता और कानून द्वारा भेदभाव रहित संरक्षण
- धार्मिक एवं बौद्धिक आंदोलन एवं संगठन की स्वतंत्रता
- राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार
- अल्प संख्यकों के अधिकार

4. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (Internation Covenant on Economic Social and Cultural Rights- ICESCR) द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार

- भेदभाव रहित व्यवहार का अधिकार
- काम की अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार
- भोजन का अधिकार
- श्रम संघ का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- आवास और जीवन स्तर के पर्याप्त मानक का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार
- अनुच्छेद 2 – 5 में उल्लेखित ''जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति'' के रूप में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता है।

5. सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के सम्मिलित होने पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल (Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict) --प्रोटोकॉल में सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सशस्त्र बलों में अनिवार्य रूप से भर्ती नहीं किया जाए। सरकारों से आह्वान किया जाता है कि वे अपने सशस्त्र बलों के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें कि जो अठारह वर्ष से कम आयु के हैं वे किसी भी शत्रुता में भाग नहीं लें।

6. बच्चों की बिक्री पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध (Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) बच्चों की बिक्री पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

7. समान पारिश्रमिक कन्वेंशन, 1951 (Equal Remuneration Convention, 1951) समान मूल्य के काम के लिए पुरुषों और महिला श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक को बढ़ावा देता है। जेंडर पर आधारित भेदभाव के बिना स्थापित पारिश्रमिक की दरों को अनुशंषा करता है।

8. **भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन, 1958 (Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958)** व्यावसायिक प्रशिक्षण में रंग, लिंग, धर्म, राजनीतिक राय, राष्ट्रीय निष्कर्षण या सामाजिक मूल के आधार पर पहुंच में

कोई भेदभाव नहीं करता है। ऐसा करना रोजगार या व्यवसाय में समान अवसर या व्यवहार को प्रभावित करता है।

9. पेरिस सिद्धांत, 1991 (Paris Principles, 1991) : अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक सेट, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (National Human Rights Institutions-NHRI) के काम को रूपरेखा तथा मार्गदर्शन करता है।

10. **वियना मानव अधिकार घोषणा 1993 (Vienna Human Right Declaration, 1993)** : महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

11. **महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर घोषणा (Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women-DEDAW)**: महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के रूप में स्वीकार की जाती है।

12. **महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW):** भारत द्वारा 1993 में पुष्टि की गई। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर आयोजित सम्मेलन में पहली बार, समता–मूलक समानता के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता दी गई।

अनुच्छेद 1

- ''महिलाओं के खिलाफ भेदभाव'' का अर्थ लिंग के आधार पर किए गए किसी भी भेद, बहिष्करण या प्रतिबंध से है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर, अशक्त और कमजोर करना है ताकि उनकी आजादी, पहचान, कार्य एवं व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सके। राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी भी अन्य क्षेत्र में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता में पुरुषों एवं महिलाओं को समानता अधिकार एवं अवसर दिए गए है।
- इस व्यापक सिद्धांत पर स्थापित, कन्वेंशन ने विशिष्ट अधिकारों पर विस्तृत विववरण प्रस्तुत किया है जिसमें सम्मिलित हैं : अनुच्छेद 2 (भेदभाव विहीन); अनुच्छेद 4 (अस्थायी विशेष उपाय), अनुच्छेद 5 (प्रचलित प्रथाएँ), अनुच्छेद 6 (वेश्यावृत्ति हेतु तस्करी और शोषण), अनुच्छेद 7 (राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन), अनुच्छेद 10 (शिक्षा), अनुच्छेद 11 (रोजगार), अनुच्छेद 12 (स्वास्थ्य), अनुच्छेद 13 (आर्थिक और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्र), अनुच्छेद 15 (कानून के समक्ष समानता), और अनुच्छेद 16 (विवाह और पारिवारिक जीवन)।

13. बीजिंग घोषणा और कार्यवाही के लिए मंच, 1995 (**Bejing Declaration and Platform for Action-BDPFA**):

निम्न अधिकारों के लिए पुनः–प्रतिबद्धता :

- महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार समान मानवीय गरिमा को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सम्मिलित किया गया है, मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर सम्मेलन (महिला संधि), और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार।
- पिछले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में हुई प्रगति, नेरोबी में आयोजित महिलाओं पर कान्फ्रेंस (1985) न्यूयॉर्क में बच्चों पर सम्मेलन (1990), रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर (1992) सम्मेलन (1993) में मानवाधिकारों पर महिलाओं सहित सम्मेलन, काहिरा में जनसंख्या पर सम्मेलन (1994), और कोपेनहेगन में सामाजिक विकास (1995) पर सम्मेलन।
- महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों के पूर्ण क्रियान्वयन को सभी मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के एक अभिन्न एवं अविभाज्य भाग के रूप में मान्यता।

14. मानवाधिकार रक्षकों पर घोषणा, 1998 (**Declaration on Human Rights Defenders, 1998**) : मानवाधिकार मानकों के आधार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय उपबन्धों जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं राज्यों तथा नागरिक समाज की सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। घोषणापत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्राप्ति की पहल की गई है। विशेष रूप से, यह मानवाधिकार को मान्यता प्रदान करता है कि वह संघों को एकत्र करके धनराशि प्राप्त करे और इस क्षमता में विधिपूर्वक तथा शांतिपूर्वक चलने वाली गतिविधियों की सुरक्षा करे। यह मानवाधिकार रक्षकों को पहचानने और उनकी रक्षा करने के लिए राज्य पर संगत कर्तव्यों को भी सम्मिलित करता है।

15. महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए प्रोटोकॉल, विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पूरक प्रोटोकॉल 2000 (**Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations**

Convention against Transnational Organized Crime, 2000) : प्रोटोकाल का उद्देश्य हैः

- महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए, व्यक्तियों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना।
- ऐसी तस्करी पीड़ितों के पूर्ण सम्मान एवं उनके मानवाधिकारों के साथ सुरक्षा और सहायता के लिए राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

16. **बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989 (Convention on Rights of the Child, 1989)**: बच्चों के जीवन और पहचान के अंतर्निहित अधिकार का सम्मान करना; बच्चों के अस्तित्व और विकास को अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित करना; भेदभाव या सजा के सभी रूपों से सुरक्षा सुनिश्चित करना। 'बच्चे का सर्वोत्तम हित' प्रमुख सिद्धांत है।

17. **दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों पर कन्वेंशन, 2006 (Convention on Rights of Persons with Disabilities 2006)** : दिव्यांग व्यक्तियों के एक व्यापक श्रेणीकरण को अपनाते हुए पुनः पुष्टि करना कि सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

18. **अम्मान घोषणा और कार्यवाही का कार्यक्रम, 2012 (Amman Declaration and Programme of Action, 2012)**: अम्मान घोषणा महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की फिर से पुष्टि करती है, जो मानवाधिकार हैं, सभी मानवाधिकार संधियों में प्रदान किए गए हैं। उन मानवाधिकारों में राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित हैं।

घोषणा सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए निम्नलिखित निर्देशों का प्रस्ताव करती है।

- महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों को तथा लिंग समानता को अपनी सभी रणनीतिक योजनाओं, प्रक्रियाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में प्राथमिकता दें तथा लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयासों को लागू करें।
- महिलाओं और बालिकाओं के साथ भेदभाव, लिंग–आधारित हिंसा, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में भेदभाव, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन, प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन सहित, महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध जांच करना एवं मुद्दों की पहचान करना, जो इन उल्लंघनों को समाप्त कर सकते हैं।

- महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों की प्राप्ति को बढ़ावा देना, जिसमें CEDAW, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं बाल अधिकारों पर कन्वेंशन सम्मिलित हैं। दिव्यांग लोगों के अधिकारों पर, और अन्य मानवाधिकार मानदंड तथा मानक, राष्ट्रीय कानून एवं नीतियों में सम्मिलित प्रावधानों को लागू करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों, लैंगिक समानता तथा प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर शिक्षा, उन्नति एवं जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों को लागू करना।

19. सतत विकास लक्ष्य : सतत विकास लक्ष्य गरीबी को समाप्त करने, गृह की रक्षा और हर किसी के जीवन तथा संभावनाओं को बेहतर बनाने एवं कार्यवाही के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान है। 17 लक्ष्यों को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था, जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 के हिस्से के रूप में सम्मिलित है जिसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 15 साल की योजना बनाई। SDG 5 लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए है। लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर विश्व के लिए एक आवश्यक आधार है। एस.डी.जी. 5 के लक्ष्य निम्नानुसार हैं–

- सभी महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हर जगह भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करें।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं तथा बालिकाओं के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करना, जिसमें तस्करी, यौन एवं अन्य प्रकार के शोषण सम्मिलित हैं।
- सभी हानिकारक प्रथाओं को दूर करना, जैसे कि बाल विवाह और जबरन विवाह तथा महिला जननांग विकृति।
- सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा नीतियों द्वारा घरेलू काम को भी महत्व देना।
- राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण तथा प्रभावी भागीदारी एवं नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।

- जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही तथा बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन के कार्यक्रम एवं उनकी समीक्षा सम्मेलनों के परिणाम के अनुसार यौन, प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों के लिए सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को आर्थिक संसाधनों में समान अधिकार देने के लिए सुधार, साथ ही राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, भूमि और अन्य प्रकार की संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी स्तरों पर सभी महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए मजबूत नीतियों को लागू करना।

अनुलग्नक 3

विशेष फोकस समूह

विशेष फोकस समूह की बालिकाएँ और महिलाएँ [4] – जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा को दूर करने तथा राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि, राज्य में सभी महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास ज़रूरी हैं, फिर भी महिलाओं की आबादी के कुछ ऐसे समूह हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं एवं बालिकाओं की आबादी के कुछ वंचित समूह हैं, जिन पर विशेष रूप से कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें न केवल महिला होने के कारण, बल्कि विशिष्ट वर्ग से होने के कारण अपेक्षाकृत भिन्न स्थितियों या अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वर्ग अथवा समूह अनेक आधार पर अनेक रूपों में विद्यमान हो सकते हैं, जिनमें कतिपय विशेष समूह की महिलाओं/बालिकाओं का वर्णन यहाँ निम्न वर्गों में किया गया है–

1. जातीय अथवा धार्मिक आधार पर

- **अनुसूचित जाति (एस.सी.) से संबंधित महिलाएँ :–** जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत और महिला आबादी की 17.8 प्रतिशत महिलाएँ अनुसूचित जाति से हैं।
- **अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) से संबंधित महिलाएँ :–** जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की संख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का 6.6 प्रतिशत तथा महिला जनसंख्या का 13.6 प्रतिशत है।
- **आदिम जनजाति :–** अनुसूचित जनजातियों में भी आदिम जनजाति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुख्यधारा में विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं। अतः अनुसूचित जनजातियों में भी आदिम जनजाति की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **विमुक्त (डी.एन.टी./एन.टी./एस.एन.टी. समुदाय)/अधिसूचित जातियों (एन.टी.)/घुमन्तू /अर्द्धघुमन्तू (सेमी–नोमैडिक ट्राइब) समुदायों की महिलाएँ–** विमुक्त (डी.एन.टी.)/अधिसूचित जातियों (एन.टी.)/घुमन्तू/अर्द्धघुमन्तू

[4] **'विशेष फोकस समूह'** का उद्देश्य मुख्यतः महिलाओं के एक सामान्य वर्ग के भीतर भी उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सामयिक और परिस्थितिगत आधारों पर विद्यमान समस्याओं और संभावनाओं को विशेष रूप से इंगित किया जाकर उनके लिए यथाआवश्यक योजना, नीति या नियम बनाना है, ताकि समस्त का सर्वांग रूप में विकास हो सके।

(सेमी–नोमिडिक ट्राइब) समुदाय को उनके अस्थाई निवास के कारण विभिन्न सामाजिक, आर्थिक योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। इस समुदाय की परम्परागत आजीविका भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में गम्भीर रूप में प्रभावित हुई है। निरन्तर प्रव्रजन एवं प्रवास के कारण इन्हें समुचित रूप से पहचान संबंधी अभिलेखों में भी समस्या का सामना करना पड़ता है, अतः इस समुदाय में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- **अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं :–** धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक वर्गों में अनेक में उनकी धार्मिक मान्यताओं और परम्पराओं के कारण उन्हें एक विशेष परिस्थिति का सामना करना होता है। उसमें उनकी समस्याएं और अवसर भी कतिपय मामलों में भिन्न हो सकते हैं, अतः जहां आवश्यक हो, वहां इस वर्ग की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक वर्ग के भी अन्तर्गत राज्य में विद्यमान मुख्यतः 06 अल्पसंख्यक धर्मों मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी में भी उनकी स्थिति के अनुसार, जहां आवश्यक हो, ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

2. **आर्थिक एवं संसाधनों से वंचना के आधार पर–**

- **असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ :–** असंगठित क्षेत्र में कार्यरत समुदायों जैसे घरेलू कार्य करने वाली (Domestic Workers), सामान्य ढाबों, गैराजों आदि पर कार्यरत श्रमिकों, बंधुआ मजदूर (Bonded Labour), स्ट्रीट वैंडर्स, सफाईकर्मी, रैग पिकर्स आदि के शोषण की संभावना सदा अधिक होती है। असंगठित क्षेत्र होने के कारण उनकी जीविका भी सुनिश्चित नहीं होती और कई बार न्यूनतम मजदूरी के नियमों एवं श्रम कानूनों की वहाँ पालना सुनिश्चित नहीं होती। इन वर्ग की महिलाओं एवं उनकी संततियों को उनके कार्यस्थल पर अपेक्षाकृत अधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है अतः इस समुदाय में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **प्रवासी कामगार :–** वर्तमान में अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील हुई है और आजीविका तथा उद्यम के स्थल भी असमान रूप से विकसित हुए हैं। जिन स्थानों पर मानव संसाधन अधिक होते हैं अथवा निर्धनता अधिक होती है, वहाँ से नौकरी एवं आजीविका के लिए बड़ी संख्या में लोगों को अन्यत्र प्रव्रजन करना होता है। किसी भी प्रव्रजन अथवा प्रवास में महिलाओं और बच्चों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। नये स्थान पर उन्हें उन राजकीय योजनाओं से भी जुड़ना कठिन होता है, जिनके लिए वे पात्र हैं अथवा मूल स्थान पर लाभार्थी रहे हैं। अतः इस समुदाय में महिलाओं एवं बालिकाओं को विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **सिलिकॉसिस पीड़ित या सिलिकॉसिस ग्रस्त परिवार की महिलाएँ:–** पत्थर खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में समुचित सावधानी न बरतने वाले स्थानों पर सिलिकॉसिस की समस्या गम्भीर रूप से उत्पन्न होती है। विशेष रूप से ऐसे जिले अथवा स्थान जहाँ खनन, मूर्ति निर्माण, सैण्ड स्टोन संबंधी कार्य बड़े पैमाने पर होते हैं, वहाँ इस तरह के मजदूरों की

संख्या बहुत अधिक हो सकती है। चूंकि सिलिकॉसिस एक असाध्य बीमारी है, अतः इसके लिए बनी नीति एवं योजनाओं की विशेष मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन आवश्यक है। सम्भव है कि इससे प्रभावित श्रमिक पुरूष हों परन्तु जीवन या आजीविका खोने के कारण ऐसे परिवार की महिलाओं एवं बच्चों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस समुदाय में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- **एकल महिलाएँ :–** समाज की बदलती शैली एवं गतिशीलता के कारण विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाओं को भी नये प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समय के साथ तलाक के केस और घटनाएं बढ़ी हैं। एकल जीवन के साथ महिला को विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक स्तर की भी हो सकती हैं। अनेक बार उनके साथ उनकी संतानों को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, प्रौढ़ अविवाहित, महिलाओं उनकी स्थिति के अनुसार, जहां आवश्यक हो, ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **निराश्रित एवं बेघर महिलाएँ :–** आवास को भोजन और वस्त्र के समान ही प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकताओं में रखा गया है। महिलाओं के लिए यह बिन्दु और भी आवश्यक रूप से उभर कर आता है, क्योंकि वर्तमान सामाजिक संरचना में बिना किसी आश्रय के सड़कों पर रहने वाली, बेघर महिलाओं को असुरक्षा के कारण और भी अधिक हिंसा, उत्पीड़न, यौन हिंसा आदि का शिकार होना पड़ता है। इनमें ऐसी महिलाएँ जो अपने बच्चों के साथ निराश्रित रूप में रह रही होती हैं, वहाँ उनके व्याधिग्रस्त होने और मातृ–शिशु मृत्यु दर अधिक होने की संभावना अधिक होती है। स्थायी आवास के अभाव में प्रायः इनकी समुचित मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती। अतः इनकी सुरक्षा तथा मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
- **विभिन्न राजकीय एवं सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण में निर्धन या वंचित महिलाएँ :–** आर्थिक सशक्तीकरण महिला सशक्तीकरण का केन्द्रीय तत्व है और उसके बिना सशक्तीकरण के अन्य रूप बेमानी हो जाते हैं। इसके अन्तर्गत भी दो तरह के वर्ग हो सकते हैं–

  प्रथम, वे जो विभिन्न राजकीय एवं सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण में निर्धन या वंचित के रूप में चिह्नित हैं।

  द्वितीय, जो वस्तुतः निर्धन व वंचित तो हैं, किन्तु निराश्रित, असंगठित, प्रवासी, घुमन्तू या दुर्बल वर्ग के होने के कारण ऐसे सर्वेक्षण में चिह्नित या सूचीबद्ध नहीं हो सके हैं।

  वस्तुतः योजना बनाते समय उक्त दोनों वर्गों को इस प्रकार समाहित किये जाने की आवश्यकता होती है कि वे समस्त वर्ग चिह्नीकरण या योजना के लाभ से वंचित न हों।

अतः इस रूप में भी इन पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

3. आयु के आधार पर

- **बालिकाएँ :–** बाल्यावस्था में स्वास्थ्य एवं पोषण की विशेष देखभाल की आवश्कयकता होती है। जिन समुदायों या परिवारों में लिंग आधारित विभेद विद्यमान होते हैं, वहाँ बालिकाओं को शैशव काल से ही उनके स्वास्थय एवं देखभाल में अनदेखी का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति गर्भावस्था में लिंग जांच से लेकर आगे शिशु मृत्यु दर तक में परिलक्षित हो सकती है। ऐसे लैंगिक भेदभाव में बालिका की माँ को भी पारिवारिक एवं भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति के अनुसार, जहां आवश्यक हो, ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **किशोरियाँ :–** किशोरावस्था, बाल्यावस्था एवं युवावस्था के बीच का संक्रमण काल है। इसमें उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्तरों पर हुए परिवर्तनों के साथ स्वयं को समायोजित करना होता है। सामान्य तौर पर इस वय में लडकियों पर पाबन्दी अधिक हो जाती है और कैरियर के लिए तैयार होने अथवा विवाह कर देने का दबाव भी बढ़ जाता है। निर्धन एवं पिछड़े वर्ग में इस समय शिक्षा बीच में छोड़ने एवं बाल विवाह या अल्पवय में विवाह की संभावना बढ़ जाती है, जिससे न केवल उसके स्वयं के स्वास्थ्य अपितु आनी वाली पीढ़ी के भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः उनकी स्थिति के अनुसार विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **युवा महिलाएँ–** 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 15–29 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 13.21 प्रतिशत और राजस्थान में कुल महिलाओं की आबादी का 27.5 प्रतिशत है। युवावस्था जीवन का सर्वाधिक सृजनात्मक एवं उत्पादक समय है और इस समय उनकी सृजनात्मक क्षमता एवं संभावनाओं को सर्वाधिक रूप से अनुकूल वातावरण देने की आवश्यकता होती है। इसी समय में पारिवारिक दायित्व निर्वहन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप भी अग्रसरित होने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। गृह एवं बाह्य क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने में सर्वाधिक चुनौतियों का सामना भी इसी समय करना पड़ता है। चूंकि राजस्थान में 1/4 से अधिक महिला आबादी युवा महिलाओं की है, अतः उनके विकास के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। अतः उनकी स्थिति के अनुसार विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **प्रौढ़ महिलाएँ :–** प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था सभी के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुनौती लाती है, परन्तु महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। इस समय शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के साथ–साथ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की संभावना भी अधिक होती है। अतः उनकी स्थिति के अनुसार विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

4. विशेष श्रेणी के आधार पर–

- **दिव्यांग महिलाएँ** :– जनगणना 2011 के अनुसार, दिव्यांग महिलाओं का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत और राजस्थान में कुल महिला जनसंख्या का 2.2 प्रतिशत है। दिव्यांगों में विभिन्न प्रकार की निःशक्तता में उनकी निःशक्तता की स्थिति के अनुरूप अलग–अलग रूप में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इनमें भी मानसिक अस्वस्थता या बहु–निःशक्तता से ग्रस्त महिलाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **सरोगेट माताएं** :– आधुनिक तकनीक द्वारा प्रजनन के साधन के रूप में सरोगेसी की शुरुआत के साथ और भारत के एक चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में उभरने के फलस्वरूप, जो महिलाएँ अपनी कोख को किराए पर देती हैं, वे कमजोर महिलाओं की एक अन्य श्रेणी के रूप में उभरी हैं। सरोगेसी उद्योग अभी भी अनियमित है और सरोगेट्स के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर उचित कानून बनाने की आवश्यकता है।
- **एच.आई.वी. और एड्स से प्रभावित महिलाएँ** :– महिलाओं के ये समूह बेहद वंचित हैं। न केवल इन महिलाओं को अपने घरों से बहिष्कृत कर बाहर निकाल दिया जाता है, अपितु कई बार उनके बच्चों को भी छीन लिया जाता है। पैतृक और पति की संपत्ति से भी उनका अधिकार छीन लिया जाता है।
- **लैंगिक अभिव्यक्ति एवं प्रवृति के रूप में भिन्न–भिन्न वर्ग** :– वस्तुतः नये शोधों के अन्तर्गत लैंगिकता को स्त्री–पुरूष के द्वि–ध्रुवीय वर्गीकरण के अतिरिक्त अन्य अनेक लैंगिक स्थितियों एवं प्रवृतियों को मान्यता मिली है, अतः उन्हें पृथक् से पहचान देते हुए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि समाज में आज भी महिला या पुरुष के अतिरिक्त अन्य जेंडर पर जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव है, अतः न केवल इन्हें उपहास, उपेक्षा और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, अपितु आजीविका के समुचित अवसरों से भी वंचित होना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व उसमें भी ट्रांसवीमेन (वे जिन्होंने शारीरिक रूप से पुरुष के रूप में जन्म लिया है, परन्तु मानसिक रूप से अथवा जैविक रूप से स्वयं को महिला के रूप में महसूस या व्यक्त करते हैं या स्वयं को उस रूप में परिवर्तित कर चुके हैं), उन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। लेसबियन एवं बाइसेक्सुअल वर्ग के प्रति यथोचित जागरूकता अपनाते हुए विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है।
- **महिला यौनकर्मी और उनके बच्चे**– महिला यौनकर्मी और उनके बच्चे अक्सर विभिन्न स्तरों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार के शिकार होते हैं। उन्हें एच.आई.वी. का भी जोखिम ज्यादा रहता है।

- **लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएँ :–**लिव–इन रिलेशनशिप के साथ जीवन–यापन करने के लिए उन्हें एक सामाजिक कलंक झेलना पड़ता है। साथ ही लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाली इन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है।
- **बाल विवाह, डायन प्रताडना जैसी हानिकारक प्रथा और जेंडर आधारित भेदभाव एवं हिंसा से प्रभावित महिलाएँ तथा बालिकाएँ :–** बाल विवाह जैसी हानिकारक प्रथा बालिकाओं पर भेदभाव और हिंसा का खतरा और बढ़ाती है। भेदभाव और हिंसा से प्रभावित महिलाओं तथा बालिकाओं को उन्हें मिले अधिकारों तक पहुंच बनाने में अनेक समस्याएं आती हैं, इसलिए इनके साथ विशेष कार्य करने की आवश्यकता है।
- **कैदी महिलाएँ**:– कैद एवं हिरासत में निरूद्ध महिलाओं को न्याय एवं सामाजिक पुनः एकीकरण हेतु समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है।

वंचित समूह की महिलाओं और बालिकाओं को अपने अधिकारों एवं विभिन्न सेवाओं को पाने के लिए अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

महिलाओं और बालिकाओं के कुछ ऐसे समूह भी हैं जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए परिवर्तन वाहक की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन वाहक समूह में आने वाली महिलाएँ और बालिकाएँ निम्नानुसार हैं–

- **स्वायत्त शासन एवं पंचायतीराज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि–** संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन ने महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया है और राजनीतिक रूप से उनकी संभावनाओं को नवीन आयाम दिया है। इसमें उनके लिए समुचित क्षमता संर्वधन भी उतना ही आवश्यक है, ताकि वृहत्तर और बेहतर रूप में कार्यों को निष्पादित कर सकें। चूंकि ये जनप्रतिनिधि स्वयं में महिला है, अतः महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विषयों पर इनसे विशेष संवेदनशीलता और क्रियाशीलता की अपेक्षा की जा सकती है और इसमें वे परिवर्तन की महत्वपूर्ण वाहक बन सकती हैं। अतः उनकी स्थिति के अनुसार विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **सिविल सोसायटी संगठनों में एवं सरकारी विभागों में जड़स्तर पर कार्यरत महिला कार्यकर्ता :–** सिविल सोसायटी संगठन, स्वयं सेवी संस्थाएं एवं गैर–सरकारी संगठन लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विद्यमान होते हैं और एक दबाव समूह के रूप में भी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन सामान्य एवं प्रशासन के मध्य ये सेतु की भी भूमिका निभाते हैं। जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने में इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। प्रशासन भी इनके माध्यम से अपनी योजनाओं और कार्यों

को बेहतर रूप में पहुँचाने में समर्थ हो सकता है। अतः इन पर इनकी स्थिति के अनुसार विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- **जीवन के विविध आयामों जैसे खेल, कला, साहित्य, अनुसंधान, उद्यम आदि क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त महिलाएँ और बालिकाएँ:–** व्यक्तित्व विकास के अनन्त आयाम हैं और किसी नीति की सार्थकता इसी बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक आयाम के लिए उसकी अनुकूलतम संभावनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करे। इन क्षेत्रों में सफल महिलाएँ जन सामान्य के लिए प्रेरणा की स्रोत भी होती हैं। अतः इन पर इनकी स्थिति के अनुसार विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

'विशेष फोकस समूह' के उक्त वर्गीकरण केवल दृष्टान्त स्वरूप हैं और इनका उद्देश्य यह है कि विकास एवं योजना निर्माण की प्रक्रिया में न केवल महिलाओं को, अपितु उनके विभिन्न वर्गों और समूहों को भी समुचित रूप में महत्व दिया जाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनकी योजनाओं को व्यापक रूप दिया जा सके।

अनुलग्नक 4

राजस्थान में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में प्रयास

राजस्थान सरकार ने विगत दशकों में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक (जेंडर) समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया है। 1980 के दशक में शुरू किए गए महिला विकास कार्यक्रम के तहत उल्लेखनीय काम किया गया है। प्रमुख पहलों में महिलाओं के लिए राज्य नीति, महिला और बाल विकास विभाग के तहत स्थापित निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना, बालिका नीति का सूत्रीकरण, डायन प्रथा के खिलाफ कानून और राजस्थान को बाल विवाह से मुक्त बनाने हेतु एक रणनीतिक कार्य योजना के रुप में विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना सम्मिलित है।

1. स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रयास

राजस्थान में पिछले एक दशक से भी अधिक समय से लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रयासों से संस्थागत प्रसव वृद्धि, मातृ मृत्यु दर में कमी और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। परिवार नियोजन के तरीकों में बेहतर पहुंच का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को संबोधित करते हुए सुविधा प्रदान करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से दस उच्च शिक्षा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। राज्य भर में किशोरियों के पोषण और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साप्ताहिक आयरन तथा फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम (WIFS) एवं मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHM) जैसी योजनाएँ लागू की गई हैं। राज्य में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2019 में राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। विभिन्न रोगों और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम के उपायों पर समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक गांव में दो स्वास्थ्य मित्र (एक पुरुष और एक महिला) को समुदाय से चुना जाता है।

2. वित्तीय समावेशन

1 अप्रैल 2021 से लागू की जाने वाली जन आधार कार्ड योजना 2021 में लोगों को कई परियोजनाओं के आसान, सुलभ और पारदर्शी वितरण का आश्वासन दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद् में पंजीकरण करा कर राजस्थान में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने तथा ग्रामीण गरीबों के सशक्तीकरण के उद्देश्य से राज्य में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। सरकार द्वारा

दिसंबर 2019 में ''आई.एम. शक्ति'' योजना के तहत महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण एवं उनकी सुरक्षा के लिए कई योजनाओं का शुभारम्भ किया गया।

3. शिक्षा और कौशल

लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को परिवहन वाउचर प्रदान किया है; साथ ही, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को साइकिल प्रदान की है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरे राज्य में लागू किया गया है।

राजस्थान के 33 जिलों में निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना को लागू किया जा रहा है। राजश्री योजना, 2016 एक लैंडमार्क योजना के रुप में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता सुनिश्चित करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता और मूल्य को बढ़ाना है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा की प्राप्ति एवं विशिष्ट आयु के अंतराल पर लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

राजस्थान सरकार की 'आपकी बेटी' योजना बी.पी.एल. परिवारों की उन लड़कियों को नकद प्रोत्साहन राशी प्रदान कराती है, जिन्हें स्कूल (कक्षा I&XII) में नामांकित किया गया है, और जो अनाथ या किसी एक जीवित बचे माता या पिता की संतान हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विधवाओं, एकल महिलाओं तथा उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ आरम्भ की गई हैं, जैसे विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता, विधवा पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता आदि। उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

4. मानव सुरक्षा और महिलाओं की हिंसा से सुरक्षा

समग्र बाल संरक्षण योजना (ICPS) का उद्देश्य बच्चों के लिए एक सहयोगात्मक और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है तथा उनकी खुशहाली में योगदान देना है। योजना के अन्तर्गत उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना है जो कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए परिस्थितियों में सुधार लाने की ओर ध्यान दिया गया है। योजना का लक्ष्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना और ऐसे कदम उठाना है जिनके द्वारा बच्चों के शोषण, उनकी उपेक्षा, उनका परित्याग तथा अलग होने की स्थितियों से निपटा जा सके।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010 में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों की स्थापना की गई थी, जो राज्य के प्रत्येक पुलिस जिले में पुलिस थानों में कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों का कार्य जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा से पीड़ितों को सहायता प्रदान करना है। इसी प्रकार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला डैस्क भी सक्रिय है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला महिला सहायता समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने का अहम प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की राष्ट्रीय वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत, 'अपराजिता केंद्र' जयपुर में एक अस्पताल से आरम्भ कर अब सभी 33 जिलों में भी शुरु कर दिए गए हैं। इन केन्द्रों में एक छत के नीचे परामर्श, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय दिया जाता है।

5. महिलाओं को कानून के माध्यम से सशक्त बनाना

महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार सम्बन्धित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं–

– विशेष विवाह अधिनियम, 1954

– दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, (संशोधन) अधिनियम 1984 एवं (संशोधन) अधिनियम 1986

–दहेज हत्या और क्रूरता से संबंधित अपराधों के बारे में भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर जोड़े गए प्रावधान 498ए और 304बी

–गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

– सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987

– मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

–गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (संशोधन 2003)

– हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005

– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

– बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

– मुस्लिम पर्सनल लॉ (संशोधन अधिनियम), 2010

– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं संशोधन अधिनियम 2013

– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोश) अधिनियम 2013

– आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

– आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018

– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989)

– किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधन अधिनियम, 2015

– अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956; संशोधन अधिनियम 1987 एवं 2018

– ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

– समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

– मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, संशोधित अधिनियम, 2017

– असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

– स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986

– राजस्थान सरकार ने राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 ऐतिहासिक कानून पारित किया और साथ ही अधिनियम के नियमों को भी तैयार किया है।

उक्त कानूनों को लागू करने हेतु विभिन्न हित–धारक जिनकी कानूनों के संचालन में भूमिका है, उनका क्षमता निर्माण करना, जागरूकता बढ़ाना, मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र तथा बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना है।

6. जेंडर रेस्पोन्सिव बजटिंग

जेंडर रेस्पोन्सिव बजटिंग (जी.आर.बी.) महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन की निगरानी हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। राज्य बजट को जेंडर संवेदी बनाने के उद्देश्य से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जेंडर आधारित बजट के मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। महिला और बाल विकास विभाग जेंडर आधारित बजट के आंकड़ों को संकलित करने एवं सभी विभागों द्वारा इस प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। इस हेतु महिला और बाल विकास विभाग अन्य विभागों द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं में जेंडर बजट के मानदंडों की पालना एवं

आंकड़ों का संकलन तथा बजट में सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जेंडर संवेदी बजटिंग तथा जेंडर बजट संबंधी प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी समय–समय पर किया जाता है।

7. बाल विवाह, डिजिटल साक्षरता एवं औद्योगिक और उद्यमिता से सम्बन्धित अन्य नवाचार युक्त कार्यक्रम, योजनाएँ एवं नीतियाँः

हाल ही में राजस्थान राज्य ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य कार्ययोजना बनाई है जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक व्यवस्था तंत्र भी तैयार किया गया है।[5]

कुछ समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा एक नवाचारयुक्त मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है जिसका उद्देश्य बालिका की शिक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बालिकाओं के लिए अनुकूल ग्राम पंचायतों को विकसित करना है।[6]

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा घोषित 'ई–सखी'[7] कार्यक्रम की सहायता से राजस्थान सरकार महिलाओं को मुख्यधारा में सम्मिलित करने और उनकी जीवन शैली में सुधार हेतु उन्हें उद्यमिता के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार की योजना महिलाओं की शक्ति को अधिक प्रभावी बनाने की है। इसके माध्यम से 20 से 35 वर्ष आयुवर्ग की महिलाएँ राजस्थान में डिजिटल क्रान्ति हेतु संरक्षक अथवा वाहक के रूप में कार्य करेंगी।

राजस्थान राज्य औद्योगीकरण नीति कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से आने वाली महिला उद्यमिओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करती है और उनके कौशल में वृद्धि करके उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ाती है। स्टार्ट–अप इण्डिया जैसी योजनाओं में उन्हें उद्यमिता के नए और कुछ बड़ा करने के अवसर प्रदान किए हैं। इससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एवं कार्यबल में भी महिलाओं की सहभागिता के अवसर मिले हैं। राजस्थान राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कारीगरों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह जमीनी स्तर पर काम करने वाले कामगारों के कौशल को भी विकसित करने का लक्ष्य रखता है जिससे कि वे बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन कर सकें।[8]

---

[5] State Action Plan to Address Child Marriage has been developed with technical assistance of UNICEF and UNFPA.

[6] Girl Child Friendly initiative guidelines supported by UNFPA, 2019

[7] https://inc42.com/buzz/with-e-sakhi-program-rajasthan-govt-adds-another-initiative-to-digitally-empower-women-in-the-state/

[8] https://sheatwork.com/government-schemes-india/rajasthan/

हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में महिला सशक्तीकरण हेतु रू. 1,000 करोड़ का कोष स्थापित किया है। इस 'इन्दिरा महिला शक्ति निधि' को राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण हेतु काम में लिया जायेगा।

इन सभी विशिष्ट प्रयासों के बावजूद समाज व्यवस्था और गहन सामाजिक मानदण्डों के कारण बालिकाओं तथा महिलाओं के विकास की गति धीमी रही है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिला विकास से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में पुनःविचार के नये मार्ग को अपनाने का निश्चय किया है। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 और इसके सशक्त क्रियान्वयन के माध्यम से यह आशा की जाती है कि राज्य में जेंडर असमानताएं कम होंगी और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बालिकाओं तथा महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण में वृद्धि होगी।

संकेताक्षरों की सूची

ANC – Ante natal care

BPL – Below poverty line

BBBP – Beti Bachao Beti Padao

BDPFA- Beijing Declaration and Platform for Action

CSR- Child Sex Ratio

CEDAW – Convention for elimination of all forms of discrimination against women.

CNNS- Comprehensive National Nutrition Survey

CSO- Civil Society Organizations

DNT/NT/SNTs- Denotified tribes/nomadic tribes/semi-nomadic tribes

GRB- Gender Responsive Budgeting

ICPS – Integrated child protection scheme

ICDS – Integrated child development scheme

ICC- Internal Complaint Committee

IPC- Indian Penal Code

ILO- International Labour Organization

IMR- Infant mortality rate

IMIS –Integrated Management Information System.

JJA- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

LCC- Local Complaint Committee

MMR- Maternal Mortality ratio

MHS – Menstrual Hygiene scheme

MTP – Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

MSSK – Mahila Salah Evum Suraksha Kendra

MDG- Millennium Development Goals

NFHS- National Family Health Survey

NFSA- National Food Security Act

NCRB –National Crime Records Bureau

NCC – National cadet corps
NSS – National service scheme
PCPNDT-Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994
PRI – Panchayati Raj Institution
PWDVA – Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
PLFS- Periodic Labour Force Survey
RSLDC – Rajasthan Skills Livelihoods and Development Corporation
RSCW- Rajasthan State Commission for Women
RSCPCR - Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights
RTI – Reproductive tract infection
RTI- Right to Information
KGBV – Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
SDG- Sustainable Development Goals
SDMC- School Development Management Committee
SMC- School Management Committee
SRB- Sex Ratio at Birth
SRS- Sample Registration System
STI – Sexually tract infection
SHG – Self Help Groups
U5MR – Under-5 mortality rate
WIFS – Weekly Iron Folic Acid Supplementation